



**Group**  
YOUR JOB, OUR WORK

# Gi GROUP INDIA COMPLIANCE NEWSLETTER

September'23 EDITION



Dear Reader,

We are delighted to bring you the September 2023 edition of our monthly Compliance Newsletter. The newsletter will help you stay updated with the latest regulatory changes, notifications, and amendments.

In this edition of our monthly Compliance Newsletter, we bring you the latest Minimum Wages revisions notifications from the states of Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, and Central Sphere Minimum Wages.

Further, we have also appended the notifications and amendments released in the month of September'23. Some of the important announcements made in this newsletter are, New guidelines for corrections in PF records by way of joint declaration, Payment of bonus or ex-gratia to the employees before Durga Puja in West Bengal, and more such important news.

Read further to know more!

Best Regards,  
Gi Group India

[Follow For More Updates](#)





## About Gi Group India

Gi Group India is one of the world's leading human capital solutions and services provider, offering services in various domains of talent acquisition and management. The group is active in the fields of Temporary and Permanent Staffing, Site Managed Services, Search & Selection, Domestic & International Recruitment, Recruitment Process Optimization (RPO), Executive Search, and HR Consulting & Training. We have direct and indirect presence and strategic partnerships in about 57 countries across Europe, Asia, America, and Africa. Gi Group has developed strong expertise through its specialist divisions and dedicated local and international teams.

Gi Group has been present in India for the last two decades, helping clients implement highly crucial projects by hiring and managing great talent. In India Gi Group actively works with customers across the country through a network of offices in 10 major cities. We help organizations achieve accelerated growth by helping them acquire the right kind of talent and providing them with a continuum of staffing solutions, from short-term to long-term and incidental to strategic, for organizations of all sizes and across multiple locations.

Our list of clients ranges from global Fortune 500 companies to large Indian Companies and New Economy Startups. We service our customers through a combination of technology and an extremely agile and responsive team of recruiters and process specialists, thus enabling our clients to focus on business performance and productivity. Ranked globally and in India as one of the largest staffing firms by Staffing Industry Analysts, Gi Group is also a global corporate member of the World Employment Confederation (formerly CIETT).

In India, Gi Group is one of the founding members of the Indian Staffing Federation (ISF). Gi Group is also a long-term strategic member of the National HRD Network.

## MINIMUM WAGES REVISIONS

### THE UTTAR PRADESH MINIMUM WAGES NOTIFICATION

The Government of Uttar Pradesh vide Notification No. 1013-20/MW/15 has revised Minimum Wages effective from 1st October 2023. Please refer to the table below for the revised minimum wages and notification appended herewith for more details:

<b>State: Uttar Pradesh</b>				
<b>Effective Date: 01/10/2023</b>				
<b>Category: Various including Shops &amp; Commercial Establishment</b>				
<b>Class of Employment</b>	<b>Basic Per Month</b>	<b>VDA Per Month</b>	<b>Total Per Day</b>	<b>Total Per Month</b>
<b>Unskilled</b>	5750	4525	395	10275
<b>Semi-skilled</b>	6325	4978	435	11303
<b>Skilled</b>	7085	5576	487	12661

### THE BIHAR MINIMUM WAGES NOTIFICATION

The Government of Bihar vide Notification No. 5/MW-40-16/2021-L&R-5363 has revised Minimum Wages effective from 1st October 2023. Please refer to the table below for the revised minimum wages and notification appended herewith for more details:

<b>State: Bihar</b>			
<b>Effective Date: 01/10/2023</b>			
<b>Nature of Employment: 69 Scheduled Employment including Commercial Establishment</b>			
<b>Category</b>	<b>Minimum Wages till 30/09/2023</b>	<b>VDA w.e.f 01/10/2023 p.m.</b>	<b>Minimum Wages w.e.f. 01/10/2023 p.m.</b>
<b>Unskilled</b>	10088	182	10270
<b>Semi-Skilled</b>	10478	208	10686
<b>Skilled</b>	12766	234	13000
<b>Highly Skilled</b>	15600	286	15886
<b>Supervisory/Clerical</b>	11107	210	11317

## THE RAJASTHAN MINIMUM WAGES NOTIFICATION

The Government of Rajasthan vide notification No. IR/2000/Part/23926 has revised Minimum Wages effective from 1st January 2023. Please refer to the table below for the revised minimum wages and notification appended herewith for more details:

<b>State: Rajasthan</b>		
<b>Effective Date: 01/01/2023</b>		
<b>Category: Various including Shops &amp; Commercial Establishment</b>		
<b>Category of Workers</b>	<b>Per Day</b>	<b>Per Month</b>
<b>Unskilled</b>	285	7410
<b>Semi-Skilled</b>	297	7722
<b>Skilled</b>	309	8034
<b>Highly Skilled</b>	359	9334

## THE MADHYA PRADESH MINIMUM WAGES NOTIFICATION

The Government of Madhya Pradesh vide notification No. 1/11/5/2015/28003-252 has revised Minimum Wages effective from 1st October 2023. Please refer to the table below for the revised minimum wages and notification appended herewith for more details:

<b>State: Madhya Pradesh</b>			
<b>Effective Date: 01/10/2023</b>			
<b>Category: Shops &amp; Commercial Establishment</b>			
<b>Class of Employment</b>	<b>Basic Per Month</b>	<b>VDA Per Month</b>	<b>Total Per Month</b>
<b>Unskilled</b>	6500	3325	9825
<b>Semi-skilled</b>	7057	3625	10682
<b>Skilled</b>	8435	3625	12060
<b>Highly Skilled</b>	9735	3625	13360

## THE GUJARAT MINIMUM WAGES NOTIFICATION

The Government of Gujarat vide Notification No. 1125/2023 has revised Minimum Wages effective from 1st October 2023. Please refer to the table below for the revised minimum wages and notification appended herewith for more details:

<b>State: Gujarat</b>					
<b>Effective Date: 01/10/2023</b>					
<b>Category: Shops &amp; Commercial Establishment</b>					
<b>Class of Employment</b>	<b>Zone</b>	<b>Basic Per Day</b>	<b>VDA Per Day</b>	<b>Total Per Day</b>	<b>Total Per Month</b>
Unskilled	Zone I	452	21	473	12298
Unskilled	Zone II	441	21	462	12012
Semi-Skilled	Zone I	462	21	483	12558
Semi-Skilled	Zone II	452	21	473	12298
Skilled	Zone I	474	21	495	12870
Skilled	Zone II	462	21	483	12558

## THE CENTRAL SPHERE MINIMUM WAGES NOTIFICATION

The Central Government vide Notification No. 1/8(1)2023-LS-II, has revised Minimum Wages of Central Sphere effective from 1st October 2023. Please refer to the table below for the revised minimum wages and notification appended herewith for more details:

**\*Category: Industrial Workers - Construction or Maintenance of Roads or Runways or In Building Operations Including Laying Down Underground Electric, Wireless, Radio, Television, Telephone, Telegraph and Overseas Communication Cables and Similar Other Underground Cabling Work, Electric Lines, Water Supply Lines And Sewerage Pipe Lines**

<b>Central Sphere Minimum Wages</b>			
<b>Effective Date: 01/10/2023</b>			
<b>Category</b>	<b>Zone A</b>	<b>Zone B</b>	<b>Zone C</b>
Unskilled	19526	16328	13104
Semi-Skilled	21632	18434	15314
Skilled	23790	21632	18434
Clerical	23790	21632	18434
Highly Skilled	25792	23790	21632

# NOTIFICATIONS/ CIRCULARS/ AMENDMENTS



## **PAYMENT OF BONUS OR EX-GRATIA TO THE EMPLOYEES BEFORE DURGA PUJA IN WEST BENGAL**

The Governor of West Bengal vide Notification No. Labr/853(LC-IR)/22013/56/2019 dated 15/09/2023 has made an appeal to all employers and employees of the State covered under Payment of Bonus Act, 1965 as amended by the Payment of Bonus (Amendment) Act, 2015 to stick to the following guidelines while setting the legitimate dues of workers in respect of payment of bonus, in view of ensuing Durga Puja for the year 2023. Following are the appeals made by the Governor:

1. Employers shall consider payment of an amount of ex-gratia in lieu of bonus as is admissible at the maximum stage workmen and employees who have crossed the eligibility limit.
2. All employees, whether in casual employment or re-employed after retirement or employed through contractors worked for not less than 30 days during the year should be paid bonus.
3. The employers who are in default towards payment of bonus for the previous years are also being requested to make such payments this year along with the payment of bonus.
4. The payments of bonus should be made before commencement of Durga Puja, 2023.

Therefore, Government expects that the employers in such cases shall also pay bonus/ex-gratia to their workers before commencement of Durga Puja i.e. 06<sup>th</sup> October, 2023. Please refer the Notification appended herewith for more details.

## **NEW GUIDELINES FOR CORRECTIONS IN PF RECORDS BY WAY OF JOINT DECLARATION**

With reference to Circular No. WSU/2022/Rationalization of work areas/Joint Declaration (E-54018) dated 23<sup>rd</sup> August 2023, the EPFO has released another circular vide No. WSU/2022/Rationalization of work areas/Joint Declaration/284 dated 14<sup>th</sup> September 2023 wherein it is clarified that as online tool is still not available on PF portal so PF department will accept the corrections in offline mode. Guidelines and list of mandatory required forms & documents for Offline Correction will be followed same as per Circular passed on 23<sup>rd</sup> August 2023. Please refer to the Circular appended herewith for more details.

## **EXTENSION OF ESIC SCHEME ON CASUAL AND CONTRACTUAL WORKERS OF MUNICIPAL BODIES IN TAMIL NADU AND ODISHA**

ESIC vide Notification No. S.S.P-11018/1/2021-Y.O.V.V has extended the ESIC Scheme to casual or contractual workers of Municipal Corporation or Municipal Bodies in Tamil Nadu and Odisha. Please refer to the Notification appended herewith for more details.



**Disclaimer:** All information and content contained in this document are provided solely for general information and reference purposes. GI Group India makes no statement, representation, warranty or guarantee as to the accuracy, reliability or timeliness of the information and content contained in this document. Although every possible care and caution has been taken to avoid any mistakes or omissions while editing. Printing, producing online or publishing the judgments, Head Notes, Editorials, Articles, Forms & Precedents, the subscriber or reader should verify the correctness respectively from the full text as in the certified copy of Judgements or Gazettes concerned. Neither GI Group India nor any of its related company accepts any responsibility or liability for any direct or indirect loss or damage (whether in tort, contract or otherwise) which may be suffered or occasioned by any person howsoever arising due to any inaccuracy, omission, misrepresentation or error which may inadvertently crept on despite care and caution in respect of any information and content provided by this document.

**Contact Information:**

Name- Sushil Shah, Legal and Compliance

Email- [marcom.india@gigroup.com](mailto:marcom.india@gigroup.com), Website: [www.gigroup.co.in](http://www.gigroup.co.in)

Address- World Trade Tower, Tower-B, Unit 503, 5th Floor, Sector 16, Noida, Uttar Pradesh – 201301

**न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता**

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाजा संख्या-194/36 -3-2014-07 (न्यूवे0)/4 दिनांक: 28-1-2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या-850/36-03 -2019 -931(न्यूवे0)/06 दिनांक: 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी है उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष(2001=100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंको के ऊपर जनवरी 2023 से जून 2023 के औसत अंक 386 पर दिनांक: 1-10-2023 से 31-3-2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा:-

दृष्टान्त-रूपये 5750/-प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-386 पर दिनांक: 1-10-2023 से दिनांक: 31-03-2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(386-216)

X5750= रू0-4525/-प्रतिमाह

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, की मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें।

कर्मोंक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	दिनांक:1.04.2023 से 30.9.2023 तक (कुल मजदूरी रू0 में)	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रू0 में	दिनांक:1.10.2023 से 31.3.2024 तक	कुल मजदूरी (रूपये में) (3+5)	दैनिक मजदूरी (रूपये में) (1/26)
				5			
1	अकुशल	5750	10089	4525	10275	395	
2	अर्धकुशल	6325	11098	4978	11303	435	
3	कुशल	7085	12432	5576	12661	487	

2 ईट नट्टा उद्योग नियोजन में नियोजित श्रमिकों की मजदूरी निम्नवत् है:-

कर्मोंक	श्रेणी	दिनांक:1.10.2023 से 31.3.2024 तक		
		मूल मजदूरी	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रू0 में	कुल मजदूरी(रूपये में)
1	अकुशल	रू0-365	रू0-287	रूपया-652/- प्रति हजार
2	पथेरा			
	भराईवाला	रू0-110	रू0-87	रूपया-197/- प्रति हजार
	(1) 500 मीटर की दूरी तक	रू0-132	रू0-104	रूपया-236/- प्रति हजार
	(2) 500 मीटर से अधिक			
3	निकासी वाला	रू0-110	रू0-87	रूपया-197/- प्रति हजार

- रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद(टायर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
- प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग
- मिथ्टान उद्योग।
- वास्तव धरो(एरोटेड ड्रिक्स) के विनिर्माण।
- फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
- परतदार लकड़ी(प्लाईवुड) के उद्योग।
- पेट्रोल और डीजल आयरल पम्प।
- डेंरी और मिल्क डेरी।
- सिल सिलारे कम्पों की विनिर्माणशाला।
- बौध तटबन्ध के निर्माण और अनुक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
- उन समस्त राजस्वीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
- प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरों सामान की दुकानों।
- टल्लई घर।
- धातु उद्योग।
- टिन प्लेट शॉपिंग और टिन प्रिंटिंग।
- ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
- घरों संभरणशाला और घर विनिर्माणशाला।
- घरों बनाने के उद्योग।
- होजरी संकर्म।
- निजी पुस्तकालय।
- काच संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
- प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राथमिक संस्थाएं भी सम्मिलित है।
- सम्बाकू विनिर्माण।
- घरोंशाला।

- 25 वानिकी(फारेस्ट्री) लट्टा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
- 26 दुकानों में।
- 27 वाणिज्य अधिष्ठानों में।
- 28 चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
- 29 तेल मिल।
- 30 लोक मोटर परिवहन।
- 31 यंत्रिक परिवहन कर्मशाला।
- 32 आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
- 33 सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण संकियाओं।
- 34 पत्थर तोड़ने या पत्थर फूटने।
- 35 धिकन के कार्य।
- 36 दियासलाई उद्योग।
- 37 आइसक्रीम/आइसक्रीम विनिर्माणशाला।
- 38 बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
- 39 बर्फ विनिर्माणशाला।
- 40 एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
- 41 लाण्डी और घुलाई अधिष्ठान।
- 42 जिल्दसाजी।
- 43 कोल्ड स्टोरेज।
- 44 पाटरी, सिरेमिक्स या रिफैक्ट्रीज।
- 45 निजी मुद्रणालय।
- 46 सिनेमा उद्योग।
- 47 कपड़ा छपाई।
- 48 सिलाई उद्योग।
- 49 ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मसी।
- 50 क्लब
- 51 हथकरघा(सिल्क की साड़ी बुनाई) जरी के कार्य।
- 52 कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का चूर्ण या प्रसालक विनिर्माण।
- 53 ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान
- 54 खाण्डसारी।
- 55 हथकरघा उद्योग।
- 56 शक्ति चालित करघा उद्योग।
- 57 छोटा(मिनिएचर) बल्ब एवं कांच उत्पादों के निर्माण।
- 58 कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
- 59 ईट भट्टा उद्योग।
- 60 ताला उद्योग के नियोजन में।
- 61 पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
- 62 किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों) जिनमें हथियार सहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हों।
- 63 बुहारने और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौचालयों का निर्माण(प्रातिशेघ) अधिनियम 1993 के अन्तर्गत के निविद्ध क्रिया-कलाप सम्मिलित नहीं है।
- 64 घरेलू कामगारों का नियोजन।
- 65 कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
- 66 एल0पी0जी0वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
- 67 टैक्सीज, आटोरिक्षा/टैम्पो एवं ट्रेवलिंग अभिकरण में नियोजन।
- 68 कंबिल आपरेटर एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
- 69 गैर सरकारी संगठन(एन0जी0ओ) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
- 70 विक्रय संवर्धन(विक्रय संवर्धन(सेवा शर्त) अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
- 71 हेयर कॉटिंग सैलून एवं ब्यूटी पार्लर(पुरुष एवं महिलायों) में नियोजन।
- 72 कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
- 73 काल सेन्टर/आई0टी0 इण्डस्ट्रीज/टेलीकॉमिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
- 74 ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हों, में नियोजन।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या 1013-20 प्रवर्तन-(एन0डब्ल्यू0)/15

दिनांक 29/9/2023

- समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराये तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
- अनुसूचित, उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3, बापू भवन, लखनऊ।
- सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(विज सैल)भारत सरकार नई दिल्ली ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से
- अधिसूचनी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- उप श्रम आयुक्त(आई0आर0), मुख्यालय, कानपुर।
- उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित करने तथा विभागीय वेबसाइट [www.uplabour.gov.in](http://www.uplabour.gov.in) पर अपलोड कराने हेतु।
- श्री हिमायु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखाध्यक्ष प्रेषित।
- समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

(अजय कुमार मिश्रा)  
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।  
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

(अजय कुमार मिश्रा)  
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।  
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक-

एस0 ओ0- दिनांक- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं । अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे ।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2016-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
1	2	3	4
जनवरी, 2023	132.8	4.63 X 4.93 X 2.88	8730
फरवरी, 2023	132.7	4.63 X 4.93 X 2.88	8724
मार्च, 2023	133.3	4.63 X 4.93 X 2.88	8763
अप्रैल, 2023	134.2	4.63 X 4.93 X 2.88	8822
मई, 2023	134.7	4.63 X 4.93 X 2.88	8855
जून, 2023	136.4	4.63 X 4.93 X 2.88	8967
योग :- 52861			

वर्ष 2023 के प्रथम अर्द्धांश जनवरी-जून का औसत-52861÷6=8810.16

अथवा-8810

A

**अनुसूची-1 (ब)**

क्र० सं०	अनुसूचित नियोजन का नाम	दिनांक-01.04.2023 से लागू दरों से संबंधित अधिसूचना एवं गजट संख्या का संदर्भ	कुल
1	2	3	4
1	69 नियोजन- सामान्य कार्य	अधिसूचना संख्या -1687,1688 दिनांक- 31.03.2023 गजट सं०-298 दिनांक-10.04.2023	<b>69-</b> <b>अनुसूचित</b> <b>नियोजन</b>

(1) कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर (2) अल्युमिनियम उद्योग (3) खंडसारी उद्योग (4) कॅमिकल एंड फार्मास्यूटिकल उद्योग (5) साबुन निर्माण उद्योग (6) सिमेन्ट प्री-स्ट्रेस्टेड प्रोडक्ट्स उद्योग (7) एस्वेस्टस सिमेन्ट उद्योग (8) ग्लास शीट निर्माण (9) बन्दूक कारखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उद्योग (12) लौहडूज एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग (15) चर्म वस्तु निर्माण (16) उड वर्क्स फर्नीचर (17) आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उद्योग (21) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उद्योग (23) दफ्ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगरेक बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण (24) इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग (25) सिमेन्ट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग (26) प्लाईवुड उद्योग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग (28) डलाई (फाउन्ड्री) उद्योग (29) रबड एवं कम्पाउंड उद्योग (30) बिस्कुट उद्योग (31) कोल ब्रिकेट उद्योग (32) सिलाई उद्योग (33) हैंडलूम उद्योग (34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स (35) डिस्ट्रीलरीज (36) प्लास्टिक उद्योग (37) मिनरल ग्राईडिंग उद्योग (38) शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोडकर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण (41) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं (42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल (43) तेल मिल (44) मुद्रणालय (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट (47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले (48) कोल्ड स्टोरेज (49) लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दूकान को छोडकर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले) (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य (51) सडको के निर्माण या अनुसंधान अथवा भवन निर्माण कार्य (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सीरीज (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं (55) अबरख कार्य (खादान को छोडकर) कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उद्योग (57) किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान (58) प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग (60) पौट्रीज (61) ऑटोमोबाईल इजिनियरिंग शौप्स (62) हार्ड कोक भट्टे (63) कूरियर सेवा (64) चूडा मिल (65) इलेक्ट्रोकास्टिंग एवं मेटल फरनिशिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग

*A*

(50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) (67) लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य  
(68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग।

**अनुसूची -II**

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	दिनांक-01.09.2022 + 01.10.2022+01.04.2023 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक- 01.10.2023 से प्रभावी होगी	01.10.2023 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	366.00+7.00+15.00=388.00	7.00	395.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	380.00+8.00+15.00=403.00	8.00	411.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	463.00+9.00+19.00=491.00	9.00	500.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	566.00+11.00+23.00=600.00	11.00	611.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय/लिपिकीय	10478.00+210.00+419.00=11107.00	210.00	11317.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जनवरी-जून, 2023 के औसत के आधार पर 01 अक्टूबर, 2023 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाहीं के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-16/2021 श्र0सं-5362)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

 21/9/23

(अलोक कुमार)


विशेष सचिव।

अधिसूचना

पटना, दिनांक-  
एस0ओ0 दिनांक का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद  
बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान  
के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा  
जाय।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-16/2021 अ0सं-5363)

बिहार राज्यपाल के आदेश से

 17/9/23

(आलोक कुमार)

विशेष सचिव।

## NOTIFICATION

Patna, dated-

S.O.                      Date                      In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

### Schedule-1 (A)

Month & Year	Index No Base Year (2016=100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year ( 1960-100)
1	2	3	4
January, 2023	132.8	4.63 X 4.93 X 2.88	8730
February, 2023	132.7	4.63 X 4.93 X 2.88	8724
March, 2023	133.3	4.63 X 4.93 X 2.88	8763
April, 2023	134.2	4.63 X 4.93 X 2.88	8822
May, 2023	134.7	4.63 X 4.93 X 2.88	8855
June, 2023	136.4	4.63 X 4.93 X 2.88	8967
<b>Total</b>			<b>52861</b>
<b>Second Half Yearly Average of the year January to June,2023. <math>52861 \div 6 = 8810.16</math></b>			

**or 8810**

### SCHEDULE-I(B)

Sl.no	Name of employment	Reference of Notification and Gazette for the rates effective from 01.04.2023	Total
1	2	3	4
1	69 Employment - General Work	Notification No- 1687,1688 Dated- 31.03.2023 Gazette No.- 298 Dated- 10.04.2023	69 Scheduled Employment

(1) Co-operative Sector (2) Aluminum Industry (3) Khansari industry (4) Chemical and Pharmaceutical Industry (5) Soap Making Industry (6) Cement Pre - stressed product Industry (7) Asbestos Cement Industry (8) Glass Sheet Industry (9) Gun factories (10) Religious & Social Institution (11) Paper Industry (12) Laundries & washing (13) Hosieries Manufactory (14) Manufacture of Sindur & Rang (15)

*A*



Manufacture of Leather goods (16) Wood works & furniture (17) Ice Cream and Cold Drinks (18) Petrol and Diesel Pump (19) Fisheries (20) Khadi and Village Industries (21) Private Ferries & L.T.C (22) Book binding Industry (23) Manufacturing of Dafti, Card Board, Mill Board, Corrugated Board, Straw Board or Gatta Paper Board. (24) Electronics Industry (25) Cement Hume pipe, Electric pole and Railway Sleeper manufactures Industry (26) Plywood Industries (27) Electric and other type of Bulbs and Florence tubes (28) Foundry Industries (29) Rubber and Rubber Compound Industry (30) Biscuit Industry (31) Coal Briquette Industry (32) Tailoring Industry (33) Handloom Industry (34) Private Hospitals, Nursing Homes and Clinics (35) Distilleries (36) Plastic Industries (37) Mineral Grinding Industry (38) Glass Industries (excluding glass sheet) (39) Dairies and Poultry Farms (40) Manufacture of Gold, Silver Ornaments & Articles of artistic design. (41) Tanneries Leather Technology (42) Rice Mills, Flour Mills & Dal Mills (43) Oil Mills (44) Printing Press (45) Any Shops or Establishment (46) Public Motor Transport (47) Any Woolen Carpet Making or Shawl weaving establishments (48) Cold Storage (49) Minor Engineering Industry (Excluding automobile engineering shops less than 50 workers.) (50) Dam Construction & Irrigation (51) Construction or Maintenance of Road or in Building Construction (52) Bakeries and Confectioneries (53) Shops selling cooked food stuff (54) Hotels Eating Houses and Restaurants (55) Mica works (Factory & Establishments) (excluding Mines) (56) Cinema industry (57) Any University, Educational, Research or Cultural Institutions. (58) Private Security Agency (59) Refectories Fire Bricks & Ceramic Industry (60) Potteries (61) Automobile Engineering Shops (62) Hard Coke Industry (63) Currier Services (64) Frittered Rice (65) Electro casting and Metal Furnishing (66) Engineering Industries (Employment more than 50 workers) (67) Rolling of Iron Rod, Plates, Angles etc. works (68) Jute Industry & ancillary works (69) Information Technology.

### SCHEDULE -II

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.09.2022 + 01.10.2022+01.04.2023 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.10.2023 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.10.2023 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	366.00+7.00+15.00=388.00	7.00	395.00 Perday
2.	Semi skilled	380.00+8.00+15.00=403.00	8.00	411.00 Perday
3.	Skilled	463.00+9.00+19.00=491.00	9.00	500.00 Perday
4.	Highly Skilled	566.00+11.00+23=600.00	11.00	611.00 Perday
5.	Supervisory/Clerical	10478.00+210.00+419.00=11107.00	210.00	11317.00 Per Month

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been

*A*

fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column - 4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employment and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **January -June, 2023** will be payable at the aforesaid rates from **1<sup>st</sup> October, 2023** and thereafter increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/ M.W.- 40-16/2021 L&R- 5362)

By the order of the Governor of Bihar,



(Alok Kumar)

Special Secretary.

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 अ०सं०- 5363 पटना, दिनांक- 27/9/23

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।



(आलोक कुमार)

विशेष सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 अ०सं०- 5363 पटना, दिनांक- 27/9/23

प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/निदेशक, श्रम व्यूरो, शिमला एवं चंडीगढ़/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/बिहार सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/ सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाधित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाधित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।




(आलोक कुमार)

विशेष सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०- 5363 पटना, दिनांक-27/9/23


प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग-सह-अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद/समी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद/सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना-01/सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना/प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/ उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना/उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मों एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूचना की प्रती उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

  
(आलोक कुमार)  
विशेष सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 श्र०सं०- 5363 पटना, दिनांक-27/9/23

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
(आलोक कुमार)  
विशेष सचिव।



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 13, सोमवार, शके 1945-सितम्बर 04, 2023  
Bhadra 13, Monday, Saka 1945- September 04, 2023

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 31, 2023

संख्या एफ.(5)(6)न्यू.म.अधि/श्रम/IR/2000/पार्ट/23926 :-चूंकि राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निम्नलिखित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों/कामगारों के संबंध में राजस्थान राज्य के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन/पुनरीक्षित करने के लिए इच्छुक है, जिनके प्रस्ताव नीचे दिये जाते हैं और उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में उन व्यक्तियों के सूचनार्थ, जिनके इन प्रस्तावों द्वारा प्रभावित होने की सम्भावना है, एतद्वारा प्रकाशित किये जाते हैं।

तथा राज्य सरकार एतद्वारा अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने से दो माह की अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसके बाद इन प्रस्तावों पर पूर्वोक्त दिनांक से पूर्व उनके सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं भी सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार किया जावेगा।

इस प्रकार के सुझाव एवं आपत्तियां अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव श्रम, राजस्थान, जयपुर को भेजी जानी चाहिये।

अनुसूची "भाग-1"

क्र.सं	अनुसूचित नियोजनों के नाम
1	सोप स्टोन फैक्ट्रीज
2	कॉटन जिनिंग तथा प्रेसिंग फैक्ट्रीज
3	ऑटोमोबाईल वर्कशॉप
4	कॉटनडाईंग-, प्रिन्टिंग तथा वाशिंगफैक्ट्रीज
5	स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज
6	गोटा किनारी एवं लप्पा संस्थानों मेंनियोजन
7	वूलन स्पनिंग एवं वीविंग फैक्ट्रीज
8	पावरलूम फैक्ट्रीज
9	प्रिंटिंग प्रेस
10	सिनेमा इण्डस्ट्रीज
11	तेल मिल (मिल ऑयल)
12	इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज
13	वूल क्लनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्रीज
14	हैण्डलूम उद्योग

15	मैकेनिकल शक्ति के बगैर चलने वाले शुगरपानके नियोजन
16	दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान
17	कॉटन वेस्ट स्पिनिंग फैक्ट्रीज
18	किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन नियोजन
19	सार्वजनिक मोटर परिवहन में नियोजन
20	अभ्रक कर्मन्त में नियोजन (अभ्रक खानों के अतिरिक्त)
21	किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
22	सड़को के संनिर्माणया अनुरक्षण या निर्माण संक्रियाओं में नियोजन
23	सरकारी कार्यालयों में कंटेजेन्सी एण्डवर्क्स में मण्डलों तथा निगम जिसमें आकस्मिक (नियुक्तश्रमिक/कामगार शामिल भी है)
24	विद्युत उत्पादन, वितरण तथा पूर्ति से संबंधित नियोजन
25	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में नियोजित श्रमिक/कामगार
26	सिंचाई विभाग में नियोजित श्रमिक/कामगार
27	सार्वजनिक निर्माण विभाग में नियोजितश्रमिक/कामगार
28	जट पट्टी उद्योग
29	होटल एवं रेस्टोरेन्ट
30	निजी शैक्षणिक संस्थानों में नियोजन
31	निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम्स जो (सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित न हो में) नियोजन।
32	केबल ऑपरेटिंग एवं संबंधित सेवा में नियोजन
33	सीमेन्ट प्रीस्ट्रेज्ड प्रोडक्ट्स उद्योगमें नियोजन
34	कोल्ड ड्रिक्स, सोडा एवं अलाइड प्रोडक्ट्स की मैन्यूफैक्चरिंग में नियोजन
35	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन
36	कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन
37	फैक्ट्री अधिनियम में पंजीकृत सभी कारखाने जो अन्य किसी अनुसूचित नियोजन में सम्मिलित नहीं हो, में नियोजन
38	गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) एवं संस्थाओं में नियोजन
39	खादी, हैण्डिक्राफ्ट्स एवं विलेजइण्डस्ट्रीज में नियोजन
40	एल.पी.जी. वितरण एवं सम्बन्धित सेवाओं में नियोजन
41	मार्केटिंग एवं कन्जूमर्स कोऑपरेटिव-सोसायटीज में नियोजन
42	मैटल फाउण्ड्री एवं जनरल इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
43	पैस्टीसाइड सहित कैमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में नियोजन
44	पैट्रोल पम्प एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन
45	एस.टी.डी., आई.एस.डी., पी.सी.ओ. एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन
46	स्वीपर एवं सैनेटरी सेवा जो अन्य नियोजनोंमें सम्मिलित नहीं है
47	टैलरिंग कार्य तथा गारमेन्ट्स उद्योग में नियोजन

48	टैक्सीज, ऑटो रिक्शा एवं ट्रेवलिंगएजेन्सीज में नियोजन
49	टैक्सटाईल्स उद्योग (सभी प्रकार के)में नियोजन
50	टाइल्स निर्माण एवं पोटरीज उद्योग मेंनियोजन
51	वुड वर्क्स एवं फर्नीचर निर्माण उद्योग मेंनियोजन

### अनुसूची "भाग-II"

क्र.सं	अनुसूचित नियोजनों के नाम
52	<b>(कृषि में नियोजन)</b> - किसी भी रूप में कृषि कर्म में नियोजन, जिनके अन्तर्गत धरती को जोतना और बोना, दुग्ध उद्योग, किसी कृषि संबंधी या उद्यान कृषि संबंधी वस्तु का उत्पादन, उसकी खेती, उसे उगाना और काटना, पशुधन पालन, मधुमक्खी या कुक्कुट पालन और किसी कृषि द्वारा या किसी कृषि क्षेत्र पर या कृषक कर्म की अनुषांगिक रूप या उनके साथ-साथ की गई क्रियायें (जिनके अन्तर्गत वन संबंधी या काष्ठीकरण संबंधी क्रियायें, और कृषि उपज मण्डी के लिए तैयार करने और भण्डार में या मण्डी को या मण्डी तक परिवहनार्थ वाहन का परिदान करना आता है/आती है)

### पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी की दरें

अनुसूची भाग-I एवं II में वर्णित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों /कर्मचारी का वर्गीकरण	न्यूनतम मजदूरी की दरें (रूपये में)	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	2	3
<b>अकुशल</b> -बेलदार, चौकीदार, जमादार, हाली, वर्क्स कीपर, फर्शा, धोबी, भिश्ती, शिशु गृह परिचारक, स्वीपर, जलधारी, पेट्रोल लोडर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, गैंगमैन, खलासी, पशु अवरोधक, साईकिल सवार, निर्वाहक, मुख्य नाविक, पम्प परिचालक, सेनेटरी जमादार, चपरासी, कुंजी पाल, स्प्रेमैन, गैज रीडर्स, जरी वर्कर, फीडर, लोडर्स, बैग फिलर, ट्रौली फिलर, जिनिंग वर्क्स, पैकर्स, फीडर्स, बेल लीफ्टर्स, लर्नर, लेबर, ब्लोवर, मर्सराईजिंग हैल्पर, कीर बॉयलर्स एण्ड ब्लीचर्स, डाईंग ऑन एडन वर्क्स, डाईन वर्क्स, जीगर वर्कर, मैसेन्जर्स, मजदूर, वॉचमैन, डाईंगमैन, वूल क्लीनर्स, बिलोमशीन हैल्पर, होपरमैन, बेल पेकर्स, क्लीनिंग वर्कर्स, वूल केरियर, बॉबिन केरियर, ड्रायर्स, ट्रौलीमैन, चरखा चलाने वाला रीलर, पेपर लिफ्टर, पोस्टर बॉय, एक्सपेलर-क्लीनर, कोलमैन, क्रेटमैन, गेटकीपर, कुक कैरियर, डिंकोरटीकेटर, (ग्राउण्डनट केरियर, हस्क केरियर, गनी बेग फलर, गनी बेग स्टीचर) वूल वॉशिंग मैन, स्टीचर, वूल सोरटर्स, बीयरर्स, गेटकीपर, वेजीटेबल कटर, डिलीवरी बॉय, कोटर रोलर, पिऑन, छानने वाला, पम्पमैन, शामियाना तानने वाला, कॉटन फीडर श्रमिक, डेसर्स एण्ड शोपरटर्स, केरियर, हमाल, स्पिनर्स, क्लीनर - होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट अधिसूचित नियोजन में नियोजक	7410/-	285/-

<p>द्वारा निवास सुविधा एवं भोजन सुविधा दिये जाने पर क्रमशः रू0 100-100 घटाकर वेतन देय होगा। (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो अकुशल कार्य करते हों)</p>		
<p>2. <b>अर्द्धकुशल</b> - मुंशी, भू मापक, शिशु गृह प्रभारी, हैड डीलर, स्टोन ड्रेसेज और कटर्स, हैल्पर, वायरमैन, मेट, हैल्पर, वर्कशॉप हैल्पर्स, सहायक पेन्टर्स, वे-मैन, ऑयल मैन, वॉल्वमैन, हॉफप्रेस मैन, वर्मकार, अस्सिस्टेन्ट कण्डक्टर, हैड वॉचमैन, अस्सिस्टेन्ट फिटर, अस्सिस्टेन्ट कारपेन्टर, अस्सिस्टेन्ट टर्नर, अस्सिस्टेन्ट ग्रीजर, ऑयलमैन, अस्सिस्टेन्ट टिंकर, टायर फिटर, डेट फिटर, पॉलिश मैन, लेथमैन, टूल कीपर, लाईनर, वाइन्डर, टाईमैन, पैट्रीमैन, ल्यूब्रीकेटिंग अस्सिस्टेन्ट, जूनियर क्लर्क, बैण्ड चैकर, जींगरमैन, क्लीपमैन, (स्टेन्टर) अस्सिस्टेन्ट स्क्रीन प्रिन्टर, वर्क्स एंगेज्ड ऑन हैण्डिलिंग, मशीन स्ट्रेचर्स, फिल्डर्स, एडन हैल्पर, हैवी मशीन हैल्पर, अस्सिस्टेन्ट ऑपरेटर, बिलोमैन, वैमैन, लेपमैन, वाईगमैन, डीजर, भीमसा, वारपार, फोल्डर, साईजर, पैपरमैन, कच्चा वाईण्डर, डिस्ट्रीब्यूटर, ग्राईडिंग मैन, टेकर, कोपी होल्डर, पैपर फीडर, इंकमैन, गेट कीपर एण्ड टिकिट कलेक्टर, रिवाईण्डिंग मैन, लिफ्ट ऑपरेटर, विनोअर, मेट (लेबर सुपरवाईजर), कोल्हूमैन, फिटरमैन, फायरमैन, पम्प अटेन्डेन्ट, सहायक फिटर, सहायक टर्नर, सहायक वेल्डर, सहायक मैकेनिक, जाकरी वर्कर्स, वॉशरमैन, रिकवरीमैन, पंचरमैन, डिलीवरी मैन, कोबलर, पेट्रोल डिलीवरी मैन, वे मैन कॉज बटन मेकर, चेयर नेस्टर, साईकिल रिपेयर्स, कॉटन फिडर, ब्रेकर साउथर फिनिशर श्रमिक, टेन्टर कम स्टीपर, डाईंग सिम्पलेक्स, लूविंग इन्टील, रिंग एण्ड डब्लिंग साईजर, डाफर, रोलर, एन्टीवाला एण्ड बेलिंग, वायरमैन कम हैल्पर, सैनेट्री जमादार, हलरमैन, मोर्जर, वेटमैन, सिल्कमैन, हैण्ड डीलर, स्टोर ट्रन्सेज ओर कटर्स, स्वीपर (गटर सफाई वाला) तथा (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो अर्द्धकुशल कार्य करते हों)</p>	7722/-	297/-
<p>3. <b>कुशल</b> - मैशन, मिस्त्री, स्वागतकर्ता, बढई, लुहार, दर्जी, चर्मकार, मैकेनिक फिटर, लाईनमैन, पेन्टर, प्लम्बर, बर्नर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, सिनेमा ऑपरेटर, बागवान, मैकेनिकल डीलर्स एण्ड ब्लास्टर्स, हल्के वाहनों के ड्राईवर, भारी वाहनों के ड्राईवर, ट्रेक्टर चालक, भारी ट्रकों के चालक, मिट्टी हटाने वाली मशीनों के ड्राईवर, रोड रोलर ड्राईवर, ट्रक ड्राईवर, मोटर गाडियों के ड्राईवर, इंजन ड्राईवर, दस अश्वशक्तितक की मशीनों के ड्राईवर, अर्थ मूविंग इक्विप्मेन्ट ड्राईवर, ऑपरेटर्स, क्लर्क, टाईपिस्ट, केशियर, पुस्तकालय लिपिक, समय पालक, स्टोर कीपर, लेखा लिपिक, सभी प्रकार के निरीक्षक (लाईसेन्स, गृहकर, सैनेट्री,</p>	8034/-	309/-

<p>खाद्य, ज्वालक आदि), पर्यवेक्षक, फायर ऑफिसर, ओवरसीयर, जलदाय पर्यवेक्षक, मुख्य सैनेट्री एवं परामर्शक, बॉयलर अटेण्डेण्ट, फायरमैन, मशीनमैन, कण्डक्टर्स, ड्राईवर्स, टर्नर, आर्टिजन्स, कोच बिल्डर्स, वल्केनाईजर्स, इक्ट्रोप्लेट्स, मेट्रोमैन, बिल्डर्स, डिचमैनपेन्टर्स ऑफ हैलेस्टर्स, ड्रेसर्स एण्ड सोपस्टर्स, पथ निरीक्षक, कम्पाण्डर, ड्राफ्टमैन, माली, शिफ्ट सुपरवाइजर, मशीन फिटर, टर्नर, प्रेसमैन, वाईण्डर, जोबर कम ऑयलमैन, जोबर कम साईजर, विलोरूम जोबर, बिल क्लर्क, बुकिंग क्लर्क, कुक, एयर कण्डीशन मैकेनिक, रफुगर, वटर टेलर, पॉलिशवाला, रेडियो रिपेयर्स, ऑटो मैकेनिक, शीटमेकर, फर्नीचर डिजाईनर्स, मनहारारा, बार्बर, कन्फेक्शनर्स, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट ऑटोशियन, छाता बनाने वाला, सूटकेश मैकर, मनीबेग मैकर, नर्स, इन्चार्ज, सिक्यूरिटी मैन, गोदाम कीपर, एलीवेटर ऑपरेटर, वेलप्रेस ऑपरेटर, फुलप्रेस मैन, मुकादम्स, मोल्डर, फैब्रिकेटर, टाईमकीपर, कोल्हू मास्टर, ढोल मैकर, टीन स्मिथ, सोल्डरमैन, एयरकण्डीशन ऑपरेटर, एयरक्लिंग ऑपरेटर, अस्सिस्टेन्ट मैनेजर, इलेक्ट्रीकल सुपरवाइजर, कम्पोजिटर, ऑपरेटर-लाईनो/मोनो, डाई प्रिन्टर, कारपेन्टर, पुफ रीडर (चैकर), ब्लॉक प्रिन्टर, ब्लॉक मैकर, डाई स्टेम्पर, डिजाईनर, बाईण्डर, स्टीचर, कास्टर, लाईनोप्लेट प्रिन्टर, टाउचर, कातिभ, संसाज, सेग मशीन ड्राईवर, प्लेट कटर, डाईंग मास्टर, कन्टेनर मैन, फोरमैन, कार्डिंग मशीन ऑपरेटर, बॉलिंग प्रेस-ऑपरेटर, जोबर, लेथ ऑपरेटर, वाईण्डिंग मशीन ऑपरेटर, वेलेडर, एसेम्बलर, स्क्रिन प्रिन्टिंग पैन्टर्स, बॉयलर अटेन्डेन्ट, फेल्ड मास्टर कुशिंग एण्ड पिगमेन्ट, कलर मास्टर, मोटर मैकेनिक स्कूटर मैकेनिक, ग्रिलर, ड्राफ्टमैन, वल्कानाईजर, ग्राईण्डर, बोरिंगमैन, प्रेस मिस्त्री, इलीवेटर, कूल प्रेसमैन, बेलप्रेस ऑपरेटर, मिलर या मिल मशीन ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, क्वालिटी कन्ट्रोल मैन, पथ निरीक्षक प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला परिचर, जूनियर टैक्नीकल असिस्टेंट तथा (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु जो कुशल कार्य करते हो)</p>		
<p>4 <b>उच्च कुशल (Highly Skilled)</b>.स्टेनोग्राफर, एकाउण्टेंट, कम्प्यूटर ऑपरेटर, मैनेजर, सेल्स सुपरवाइजर, सेल्स रिप्रजेन्टेटिव, मेडिकल रिप्रजेन्टेटिव, केमिस्ट, पुस्तकालयाध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक, लैब टेक्निशियन, टेलीफोन ऑपरेटर, ई.सी.जी. टेक्निशियन, रेडियोग्राफर मैन पावर, फार्मसिस्ट, सीनियर टैक्नीकल असिस्टेंट, कुक,मेल/फिमेल, नर्स तथा (अन्य कोई भी श्रेणी जिनका कोई भी नाम हो, परन्तु उच्च कुशल कार्य करता हो)</p>	9334/-	359/-



**टिप्पणियाँ:-**

1. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिये नियत मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की गई है।
2. इसमें किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी यदि उपर्युक्त दरों के प्रभाव में आने की तारीख पर उक्त नियोजनों में से किसी कर्मचारी की मजदूरी उपरोक्त दरों से अधिक हो तो उसके द्वारा उक्त दिन को प्राप्त की गई वास्तविक मजदूरी उसके संबंध में नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दर होगी।
3. अनुसूची में निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी की दरों में निर्वाह भत्ता, बुनियादी मूल्य और सुविधाओं के एवज में रोकड़ मूल्य, यदि कोई हो, सम्मिलित है।
4. उक्त नियोजनों में कार्यरत कर्मचारी के लिये नियत दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है।
5. निर्धारित सामान्य कार्य के घण्टों (8 घण्टें प्रतिदिन) से अधिक किसी कर्मचारी से कार्य करवाने पर अधिसमय (overtime) कार्य का भुगतान सामान्य मजदूरी दर की दुगुनी दर से किया जावेगा।
6. मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।
7. 18 (अठारह) वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों और अक्षम व्यक्तियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरें उसी श्रेणी (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल) के वयस्क व्यक्तियों के बराबर देय होगी।
8. श्रम ब्यूरो, शिमला से प्राप्त जयपुर, अलवर एवं भीलवाडा केन्द्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) दिनांक 1.7.2021 से 31.12.2022 तक अधिसूचना में सम्मिलित कर लिये गये हैं। इस अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की वृद्धि 687 अंक है।
9. पार्ट टाइम (अंशकालीन) श्रमिक यदि 4 घण्टे से कम कार्य करता हो तो उसे निर्धारित न्यूनतम दर का 50 प्रतिशत तथा 4 घण्टे से अधिक कार्य करने पर पूर्ण निर्धारित वेतन मिलेगा।
10. उक्त मजदूरी की दरें दिनांक 01.01.2023 से लागू किये जाने पर वित्त विभाग द्वारा सहमति दी गई है।

राज्यपाल की आज्ञा से,  
धर्मपाल सिंह,  
अति० श्रम आयुक्त एवं,  
पदेन संयुक्त शासन सचिव,  
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।



श्रमायुक्त कार्यालय  
मध्य प्रदेश शासन,  
इन्दौर

न्यूनतम वेतन  
एवं  
मंहगाई भत्ते की दरें  
दिनांक 01.10.2023 से प्रभावशील

-----

-----

-----

न्यूनतम वेतन की दरें श्रम विभाग की वेबसाईट  
[www.labour.mponline.gov.in](http://www.labour.mponline.gov.in) पर उपलब्ध है

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948

के अंतर्गत श्रमिकों हेतु

दिनांक 01.10.2023 से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील

मंहगाई भत्ते की दरें

01 से 36, 39 से 55 एवं 57 से 66, 68, 70 से 72 तक कुल 67 नियोजन

67 नियोजन	पृष्ठ क्र. 03-15
प्रदेश के विभिन्न शासकीय एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हेतु अनुसूची-"क"	पृष्ठ क्रमांक 16
कृषि नियोजन	पृष्ठ क्र. 17-19
बीडी नियोजन	पृष्ठ क्र. 20-28
अगरबत्ती नियोजन	पृष्ठ क्र. 29-35
अन्य	पृष्ठ क्र. 36-38

**श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर**

क्रमांक 1/11/अन्वये/पांच/2015/ 28003-252

इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

**अधिसूचना**

मध्य प्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान, सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं श्रीकांत बनोठ, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश एतद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया, माह जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ:-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जनवरी, 2023	382.46
फरवरी, 2023	382.18
मार्च, 2023	383.90
अप्रैल, 2023	386.50
मई, 2023	387.94
जून, 2023	392.83
औसत सूचकांक	$2315.81 \div 6 = 385.96$ (386)

तथा इनका औसत 386 घोषित करता हूँ, जो कि अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिये औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41(बी)-1-2014-ए-सोलह, दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।

म.प्र.राजपत्र दिनांक 10 जून, 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670-671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क्रमांक एफ.4(सी)1-2013/अ-16 के अनुसार राज्य के कतिपय नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून, 2014), 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है। जो कि दिनांक 10 जून, 2016 से लागू है।

  
(श्रीकांत बनोठ)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948  
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

## श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप :-

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10.10.2014 के पृष्ठ क्र. 358 से 380, 384 से 394 एवं 395 से 400 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून, 2014) 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई हैं।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 1/11/अन्व्ये./पांच/2015/28003-252 दिनांक 25-09-2023 के अनुसार जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 386 रहा है। गत छः माही का औसत 379 रहा था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 379 के उपर (386-379)= 07 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप 67 अनुसूचित नियोजनों में अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये (25X07)= 175/- की वृद्धि हुई है। तदनुसार अर्द्ध कुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (386-241) = 145 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये (25X145)= 3625/-प्रतिमाह या (3625+26) रुपये 139.42 प्रतिदिन एवं अकुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (386-253)= 133 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि (25X133)= 3325/-प्रतिमाह या (3325+26) रुपये 127.88 प्रतिदिन रुपये दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है। (अनुसूची- अ, ब, स के लिए)।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-5/4, दिनांक 30 जून, 1992 तथा मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं एतद्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अनुसूची-“क” के अनुसार निर्धारित करता हूँ, जो दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है।


अनुसूची - अ

67 अनुसूचित नियोजनों में मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रूप्यों में)

न्यूनतम वेतन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपयों में राउण्डअप कर दैनिक दर	रूपयों में राउण्डअप कर दैनिक दर
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		
दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6500	250.00	3150	121.15	9650	371.15	371
7057	271.42	3450	132.69	10507	404.12	404
8435	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457
9735	374.42	3450	132.69	13185	507.12	507
दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक						
न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपयों में राउण्डअप कर दैनिक दर
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6500	250.00	3325	127.88	9825	377.88	378
7057	271.42	3625	139.42	10682	410.85	411
8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464
9735	374.42	3625	139.42	13360	513.85	514

स्पष्टीकरण -

- (1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपयों के गुणकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा। विशेष टीप : उपर्युक्त अनुसूची-क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई हैं, इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।
- (2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर व्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए मिडल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई, 2014 से दिसंबर, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के उपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपयों के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
- (3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रयत्न किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूवेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए) टीप - न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत 67 अधिसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट-अ तथा इस सबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-ब में देखें।)

  
(श्रीकांत बनोट)  
श्रमायुक्त,  
मध्य प्रदेश, इंदौर

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजन जिनमें वेतन निर्धारित है

क्र.	अनुसूचित नियोजन	भाग - एक
1	किसी कपास जिर्नींग एवं प्रोसेसिंग कारखाने में नियोजन	
2	किसी वन लगाने तथा वन उपज में नियोजन	
3	किसी मार्ग के निर्माण या सम्हाल या भवन निर्माण कार्य में नियोजन	
4	किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजन	
5	किसी इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन	
6	किसी सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन	
7	किसी केमिकल तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन	
8	किसी आरा मिल में नियोजन	
9	किसी तेल मिल में नियोजन	
10	किसी चायल मिल या आटा मिल या दाल मिल में नियोजन	
11	किसी मुरा पोहा निर्माणी में नियोजन	
12	किसी खाद्य पदार्थ में जिसमें बेक, डिस्टिकट्स, कन्फेक्शनरी, आईस्क्रीम, आईसक्रीडी सम्मिलित है, के निर्माण में नियोजन	
13	किसी पत्थर तोड़ने या पत्थर पिसने के कार्य में नियोजन	
14	किसी दुकान, वाणिज्यिक संस्थान, आवासीय होटल, रेस्टारेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन	
15	किसी मुद्रणालय में नियोजन	
16	किसी सीमेंट पोल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पाद में नियोजन	
17	किसी प्लास्टिक उद्योग में नियोजन	
18	किसी फ्यूएल कोक में नियोजन	
19	किसी घूना भट्टे में नियोजन	
20	किसी ईट भट्टे में नियोजन	
21	किसी पावरलूम/जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है, में नियोजन	
22	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन	
23	किसी कोसा उद्योग में नियोजन	
24	किसी खाण्डसारी उत्पादन में नियोजन	
25	किसी पाटरीज जिसमें रिफ्रेक्टरी सामान, फायरब्रिक्स, सेलिटरी वेअर, इन्सुलेटर्स, टाईल्स, (सीमेंट से निर्मित टाईल्स को छोड़कर) स्टोन वेअर पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग ब्रिक्स तथा अन्य सीरेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन	
26	किसी कम्बल निर्माण कार्य में नियोजन	
27	किसी स्लेट, पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन	
28	किसी कत्था उद्योग में नियोजन	
29	किसी रामरज गेरू के निर्माण में नियोजन	
30	किसी हथकरघा उद्योग में नियोजन	
31	किसी बोनमिल में नियोजन	
32	किसी टाईल्स, जिसमें मंगलोर टाईल्स, अलाहाबाद टाईल्स तथा अन्य स्थानीय नाम में प्रचलित टाईल्स सम्मिलित है, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाईल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन	
33	किसी विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा दो(क) में परिभाषित की गई है, चलाई जाती है। जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अंतर्गत नहीं आती है, में नियोजन	
34	किसी प्रायवेट अस्पताल जिसमें परामर्श केन्द्र तथा विकृति विज्ञान (पेथालॉजिकल) प्रयोगशाला सम्मिलित है, में नियोजन	

35	किसी प्रायवेट शैक्षणिक संस्था, जिनमें कोचिंग केन्द्र भी सम्मिलित है, में नियोजन
36	किसी तैयार किये गये (रेडिमेड) वस्त्र विनिर्माणशाला में नियोजन
39	किसी खदान जैसे कंकड़, मुर्रम, लेट्टाईट, बोलडर, ग्रावेल शिंगडा, साधारण रेत, चिल्डिंग स्टोन, रोड मेटल, अथं फुलसे, अथं और लाईम स्टोन तथा अन्य खदान जो खान अधिनियम की धारा 3 के अधीन छूट प्राप्त है, में नियोजन
40	किसी ऑटोमोबाईल्स कर्मशाला एवं मरम्मत हेतु संचालित गैरेजेस में नियोजन
41	किसी बेकरी में नियोजन
42	किसी कोल्ड स्टोरेज (शीतागार) में नियोजन
43	किसी दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापना में नियोजन
44	किसी होटल रेस्टारैन्ट तथा भोजनालय में नियोजन
45	किसी सिनेमागृहों या थियेटरों में नियोजन
46	किसी क्लब में नियोजन
47	किसी आसवानी या किसी अल्कोहलयुक्त
48	किसी अधिवक्ता या अटार्नी के कार्यालय में नियोजन
49	किसी हेअर कटिंग सेलून या ब्यूटी पार्लर में नियोजन
50	किसी उर्वरक या पेस्टीसाईड (कीटनाशक दवा) के विनिर्माण में नियोजन
51	किसी डिजलिंग प्रचालन या ट्यूबवेल के अनुरक्षण में नियोजन
52	किसी इलेक्ट्रॉनिक्स या सहबद्ध कार्य में नियोजन
53	किसी पेट्रोल या डीजल पम्पों में नियोजन
54	मिट्टी के किसी खुदाई कार्य में नियोजन
55	किसी सोने और चांदी की वस्तुओं के विनिर्माण में नियोजन
57	किसी ऑटो रिक्शा और टैक्सी चलाने के कार्य में नियोजन
58	किसी विपणन सोसायटियों, उपभोक्ता को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी और सहकारी बैंक (को-ऑपरेटिव बैंक में नियोजन)
59	किसी होजयरी में नियोजन
60	किसी साबुन निर्माण (जिसमें डिटरजेंट भी शामिल है) में नियोजन
61	किसी डेयरी और दूध से उत्पादित वस्तुओं में नियोजन
62	किसी खिलौना निर्माण, जिसमें कपड़े से निर्मित खिलौने भी सम्मिलित है, में नियोजन
63	किसी सुरक्षा कार्य तथा डिटेक्टिव सेवाओं में नियोजन
64	किसी कुरियर तथा गैर सरकारी डाक सेवाओं में नियोजन
65	किसी डाटा प्रोसेसिंग कार्य में नियोजन
66	किसी अचार, बड़ी, पापड तथा ऐसे ही खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण में नियोजन
68	किसी दवाइयों एवं अन्य वस्तुओं के विक्रय संवर्धन कार्यों में नियोजन
70	किसी सफाई कार्य में नियोजन
71	किसी पुरातात्विक कार्य में नियोजन
72	किसी सूचना प्रौद्योगिकी कार्य में नियोजन
भाग - दो	
1	कृषि में नियोजन

*Utkarsh*  
(श्रीकांत बनोठ)

श्रमायुक्त,  
मध्य प्रदेश, इंदौर




**स्पष्टीकरण**

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये (1) इस अधिसूचना के द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित कैलेंडर मास के सम्मस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी संदर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जायेगा।
2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी, जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।
3. कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल तथा उच्च कुशल कर्मचारियों की परिभाषा -
  - (क) "कुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है, जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके, उसे उस व्यवसाय शिल्प या उद्योग का, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिये।
  - (ख) "अर्द्धकुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है, जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक लिखित स्वरूप का काम करता हो, जिसमें कि उसमें उतनी निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो, किन्तु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हो, इस प्रकार उसका कार्य बंध-बंधाये रोजमर्रा के कार्य के करने तक ही सीमित है।
  - (ग) "अकुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है, जो ऐसे सरल कार्य करना है, जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल तथा सेवाओं से परिचित होना चाहिए।
  - (घ) "उच्च कुशल कर्मचारी" वह है, जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके एवं तकनीकी डिग्री एवं डिप्लोमाधारी हो, उसे व्यवसाय, तकनीक शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है।

अति कुशल कार्य से अभिप्रेत ऐसा कार्य है, जिसे करने के लिए सघन तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या कतिपय उचित अवधि के व्यवहारिक कार्य अनुभव से अर्जित संपूर्णता और पूर्ण सक्षमता की आवश्यकता होती है और कर्मकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यों के निष्पादन के बावद किये जाने वाले निर्णयों या विनिश्चयों के लिए पूरा जिम्मेदार है।

उच्च कुशल या अतिकुशल कर्मचारी वह है, जिसने किसी स्तरीय तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात उचित अवधि का व्यवहारिक कार्य अनुभव प्राप्त किया हो। जिसके आधार पर उसे सौंपे गये कार्य को दक्षतापूर्वक एवं काफी हद तक स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए संपादित कर सकता हो तथा कार्य संपादन में तात्कालिक रूप से आवश्यक सामान्य निर्णय ले सकता हो। ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो, जिन्हें उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं।

4. इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी। जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन की धारा 12(1-ए)।
5. किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है। यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिए पात्र होंगे।
6. न्यूनतम वेतन की दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (क्रमांक 11 सन 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किए अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
7. जहां कर्मचारी खण्ड दर पर नियोजित हो, और इस अधिसूचना में उसके लिए खण्ड दर इस प्रकार निर्मित की जाए, जो आठ घण्टे दैनिक, छः दिन कार्य करते हैं, एवं एक दिन सवैतनिक अवकाश देने पर समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम न हो।
8. यदि एक से अधिक नियोजनों में एक ही स्वरूप का कार्य होता है, तो कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर दरें देय होगी।
9. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है। श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की सूची संलग्न है।

  
(श्रीकान्त बनोठ)  
श्रम आयुक्त,  
मध्य प्रदेश, इन्दौर

**अकुशल, अर्द्ध कुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की उदाहरणार्थ सूची :-**

**अकुशल -**

मजदूर (पुरुष एवं महिला), भिश्ती, स्वीपर, क्लीनर/हेल्पर, अप्रशिक्षित माली, चपरासी/प्यून/भृत्य, चौकीदार, आईल डालनेवाला, वाटरमेन, खल्लासी, व्हीकल अटेंडेंट, पहरेदार, कुली, डाक रनर, वॉचमेन, बॉटल क्लीनर, वेटर, सर्विस-मेन, गेटकीपर, ट्रोली बॉय, पोस्टरमेन, वेन्डर, प्रेसमेन, छेडेवाला, सिलाई ओपनिंग, इंपिंग कार्य करने वाला, घरवाहा, कांजी हाउस मेन, लायसेंस वैडर, बालवाड़ी आया, ग्राम लक्ष्मी, जमादार, मजदूर प्याउ पर पानी पिलाने वाला, रोलकटर, जिन मुकादम, जिन मुकादमी, कपास कैरियर (डालेवाला), गली बेग फिलर, लिटकेरियर, कौटनशीटस कैरियर, कपास पिकर, जिन फीडर, झाड़ूवाला, बोडेवाली, वाशर, वाहन की सफाई करने वाला, सफाई कर्मचारी, कोसा फलों की गिनती करने वाला, कोसा फलों को छांटने वाला, कोसा फलों को भाप देने वाला, कोसा फलों को सुखाने वाला, कोसा फलों की नस्सी काटने वाला, कोसा फलों को बोरी में भरने वाला, बोरी की सिलाई करने वाला, गन्ना डालने वाला, खोई सुखाने के काम में लगे श्रमिक, रसोइये के सहायक, हवलदार, काडिंग लेफा पैकर, बोरी भराई, छनाई, दुलाई, वेगन लदाई या खाली कराई के काम में लगे श्रमिक, आया, वाईबॉय, सेक्युरिटी गार्ड/सुरक्षाकर्मी, अटेंडर, अटेंडेंट, वाई सप्लायर, पेंटर, सजावट करने वाला (महिला एवं पुरुष), फायरमेन, श्रमिक (किलन्स), सेटस (किलन्स), चादर में गोटा लगाने वाला, हन्माल, रेजा, हड्डी ढोने तथा साफ करने वाला, मिट्टी ढोने एवं भरने वाला, प्रेस का काम करने वाला, लोण्डीमेन, वॉशरमेन, लोडिंग-अनलोडिंग, माला गूथना, पापड बेलने का कार्य, बेलबॉय, वेटर, रूम अटेंडेंट, धागा कटिंग, चेकिंग, बाटल एवं डिब्बे की सफाई धुलाई वाला, लिफ्टर, सफाई कामगार तथा अन्य अकुशल श्रमिक आदि।

**अर्द्ध कुशल -**

टार स्प्रेअर, टार हेण्डलर, कारपेट ड्रेसर, व्हाईट वाशिंग/सफेदी वाला, टाईल टर्नर, प्रेशर, टाईपिस्ट, क्लर्क, मोहरीर, सहायक मिस्त्री, लाईनमेन, सहायक बिजली मिस्त्री, सहायक आपरेटर-वाटर वर्क्स, कोबलर, हाफ प्रेसमेन, बिल मेन, सहायक मैकेनिक, सहायक फिटर, सहायक टर्नर, सहायक ड्रिलर, सहायक गार्डेंडर, सहायक कारपेन्टर, सहायक पेन्टर, सहायक टिकर, सहायक ब्लेकस्मिथ, सहायक मोल्डर, सहायक वेल्डर, सहायक यल्कनाईजर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक शेपरमेन, सहायक पैटर्न मेकर, सहायक गीसर, सहायक आईलर, सहायक टायर फीटर, चालक (हल्के वाहन), परिचालक, जांच करने वाला निरीक्षक, वालमेन, फायरमेन, लिपिक, पम्प अटेंडेंट, व्हीलबरो कैरियर, क्वेरीमेन, व्हायटनिंग, क्लीनिंग, प्रेसरी ड्राययर, टेबलेट मशीन आपरेटर, बोटल फिलर, केप्सूल फिलर, पैकिंग, लेबलिंग के कार्य में लगे श्रमिक, मुकादम, आईलमेन, मेट, हेड मजदूर, वायरमेन, एक्सपेल्स मेन, मशीन अटेंडेंट, बिल कलेक्टर, बिल क्लर्क, रिवाइन्डर, बुकिंग सहायक, सहायक रसोइया, पेट्रीमेन, सहायक सेल्समेन, मसालची, सहायक मेसन, गारेवाला, मिट्टी गूथने वाला या मिट्टी का घोल बनाने वाला तथा निकालने वाला, भट्टे या चिमनी पर ईंट जमाने वाला, मशीन फोल्डर, स्टीपर फोल्डर, हेडफोल्डर, काटाफोल्डर, गाठवाला, सहायक जॉयर, सहायक सचिव, जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत, साईजर, मशीन पर कोसा फल से धागा निकालना तथा धागे को मशीन से ट्विस्ट करने के कार्य में लगे श्रमिक, सहायक सुपरवाईजर, फोरमेन के सहायक, शक्कर बनाने वाला कारीगर, फिनिशिंग कार्य में सहायक, कत्ताई कर्मचारी, उन कत्ताई कार्य के कतिने, कटर होजियरी, चीफर, सहायक पैन आपरेटर, सहायक सार्टर, मुंशी, फार्मसी असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, इ.सी.जी.असिस्टेंट, असिस्टेंट कपाउन्डर, असिस्टेंट नर्स, लिफ्टमेन, सहायक सिक्युरिटी सुपरवाईजर, कॉपिस्ट, असिस्टेंट हेमरमेन, सहायक मशीन ओपरेटर, मशीन अटेंडेंट, पम्प खलासी, इम्पिंगवाला, सिलाईवाला, हेल्पर, क्लिन्स शॉप श्रमिक, पंच ओपरेटर एवं मैक्समूलर, क्लिन्स श्रमिक, ब्लेजर पैन

मिल, फ्रिक्शन, किलन्स अनलोडर्स, होजियरी मशीन हेल्पर, सहायक वेन्डसा ऑपरेटर, धिपर, मेकेनिक कम हेल्पर, वेन्डसा मेकेनिक कम हेल्पर, सहायक शाल्टर, सहायक मशीनमेन, बिक्री सहायक, सूत सूटोक इंचार्ज, मशीन आपरेटर, सहायक मिक्सरमेन, सहायक टेक्निशियन, डार्करूम सहायक, सहायक जिम ट्रेनर, सहायक गेम्स ट्रेनर, सहायक कोच, सहायक माली, सहायक कुक, बुकिंग क्लर्क, थेसर, आया, पैकिंग वाले, लेअर मेन, शर्ट के पल्ले धिछाने वाला, लूप्स टकिंग, सहायक आभूषण कारीगर, सहायक पॉलिश वाला, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सहायक केमिस्ट, सहायक प्लांट ऑपरेटर, सहायक गाईड, केअर टेकर, माइयूल्स सह आर्टिस्ट, वर्क सहायक, सहायक सर्वेयर, जेनीटर, वेक्यूम क्लीनर तथा अन्य अर्द्धकुशल कर्मचारी आदि।

### कुशल -

गोताखोर, शोपेल एण्ड केन लाईन मोबाईल केन ऑपरेटर, केमिस्ट, ड्रिलिंग मशीन ऑपरेटर, मेसन, प्लम्बर, पॉलिश पेंटर, वायरमेन, इलेक्ट्रिशियन (आई.टी.आई. पास या मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल से लायसेंसधारी), केबिनेट मेकर, चार्जमेन, एक्सपेलर मास्टर, एकाउन्टेन्ट, केशियर, गोडाउनकीपर, फीटर, वॉयलर अटेंडेंट, टनर, मोल्डर, जे.सी.वी. ऑपरेटर, इंजिन ड्रायवर, ट्रेक्टर ड्रायवर, ट्रक ड्रायवर, डम्पर ड्रायवर, रोडरोलर ड्रायवर, चालक(भारी वाहन), ऑटो चालक, टेक्सी चालक, ड्रिलर, ग्राइन्डर, मैकेनिक, वेल्डर, टाईमकीपर, प्रेशर मेन, राईस मिस्त्री, सुपरवाइजर, खानसामा, कुक, तंदूरची, टी-मास्टर, आर्डर मास्टर, कारीगर, मिठाई बनाने वाला कर्मचारी, पोहा बनाने वाला, कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, हेडक्लर्क, सचिव, जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत, पर्यवेक्षक, आयुर्वेदिक वैद्य, शिक्षक बालवाडी या अशासकीय, ऑपरेटर वाटर वर्क्स, उपयंत्री विजली, वाचनालय संयोजक, सिनियर गाई, फायरमेन, फिल्टर इंचार्ज ऑपरेटर, मुनीम, युड पॉलिशर, बोरर, टिनस्मिथ, मुख्य लिपिक, स्टोरकीपर, ब्लेकस्मिथ, शेपर, बल्कनाइजर, टिकर, फ्रेममेकर, अपहोलस्टर, कारपेंटर, टेलिफोन ओपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, पैटर्नमेकर, हैमरमेन, शोसर, प्रयोगशाला तकनिशियन/लेबोरेटरी टेक्निशियन, शांवल, बेलसिकर, प्रयोगशाला सहायक, वैथमिक्सर, प्लाण्ट अटेंडेंट, मोटरमेन, भट्टी वाला, पेंटर, फोटोकॉपी ऑपरेटर, लोडर्स, अनलोडर्स, लाईन पेकर्स, विजली मिस्त्री, सिरामिस्ट, टूल्स इंचार्ज, लेथ मशिनिस्ट, कताई इंचार्ज, कम्प्रेसर ऑपरेटर, लॉण्डी अटेंडर, कम्प्यूटर टायपिस्ट, सिक्युरिटी सुपरवाइजर, सीनियर कम्पाउण्डर, सीनियर नर्स, रेकार्डकीपर, ओ.टी.मैकेनिक, व्यवस्थापक, छात्रावास प्रभारी(वाईन), दर्जी, रोलर मिस्त्री, तकनीकी कार्य करने वाला व्यक्ति, वाईपर मास्टर, सूत वितरित करने वाला व्यक्ति, योनकशर, चरखा चालक, मास्टर (कारीगर), जेकार्ड बुनकर, बुनकर, फ्रेमलूम मास्टर, थेसरमेन, पेंटर, वरिष्ठ लेखापाल, स्टोरकीपर, मशीन ऑपरेटर, युड पॉलिशर, ड्रायक्लीन डोजर, स्क्रैपर, डीजल पम्प आपरेटर, सीनियर मेकेनिक, केमिस्ट/लेबोरेटरी के सहायक, टेक्नीशियन के सहायक, लायब्रेरियन (ग्रंथपाल), पाईपमेलर ऑपरेटर, पॉलिशर, टूल्स इंचार्ज (मेट, फिलिन), मेट, आर्ट सुपरवायजर, वेड पेन ऑपरेटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, वेडर्स, पेटस मेकेनिक कम आपरेटर, सदैतनिक सचिव, सेल्समेन, आम्ड सिक्युरिटी गाई, बाउन्सर, क्लब मास्टर, जिम ट्रेनर, गेम्स ट्रेनर, कोच, डायटिशियन, मसाजर, केप्टन, वारमेन, स्टयूडेंट, बेकरी कारीगर, ओवर/भट्टी कारीगर, मशीन से मिट्टी खोदने वाले, आभूषण कारीगर, पॉलिश करने वाला, धातु गलाई-पीटना, तार खिचना, आभूषण जडाई करने वाला, सोप मेकर, प्लाण्ट आपरेटर, टॉय मेकर, स्टिचर, रिसेप्शनिस्ट, माली, डाटा एनलाइजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, मसाला मिश्रण करने वाला, आटा गूंधने वाला, चेकर, प्रोजेक्ट ऑपरेटर, प्रोजेक्शनिस्ट, रिवाइन्डर, हेडकुक, सर्वेयर, गाईड, सुपरवाइजर, सार्टर, वाइण्डर, मेकेनाइज्ड हाउस कीपींग, सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव तथा अन्य कुशल कर्मचारी।

### उच्च कुशल -

मेडिकल एवं इंजीनियर स्नातक, एम.टेक/एम.एस.सी. डिग्री प्राप्त हाईड्रो इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर ऑपरेटर, जियोलाॅजिस्ट, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद, साफ्टवेयर इंजीनियर, सिनियर साफ्टवेयर इंजीनियर, कन्सल्टेन्ट, सिनियर कन्सल्टेंट, टीम मेम्बर, टीम लीडर, साफ्टवेयर डेवलपर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स ऑफीसर, सेल्स प्रमोशन ऑफीसर, एरिया मैनेजर, टैरीटरी मैनेजर, सेल्स एक्जीक्यूटिव, साइन्टिफिक ऑफीसर एवं अन्य उच्च कुशल कर्मचारी आदि।

(ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो, जिन्हें उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं।)

### किसी मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) में नियोजित श्रमिकों के वर्गीकरण की सूची -

#### उच्च कुशल -

कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद।

#### लिपिकीय श्रेणी "एक" जैसे -

एकाउन्टेंट, केशियर आदि।

#### लिपिकीय श्रेणी "दो" जैसे -

बिल मेन, टायपिस्ट, क्लर्क आदि।

#### कुशल श्रेणी "एक" जैसे -

फोटोलिथोग्राफर, लिथोआर्टिस्ट, नेगेटिव स्ट्रीचर, लिथोऑफसेट, प्लेटमेकर, लिथोप्रेसमेन, लिथोऑफसेट प्लेटमेकर, लिथोऑफसेट कॉपी पेस्टर, लिथोऑफसेट प्रिन्टर तथा लेथब्लेड प्रिन्टर, लिथोऑफसेट ट्रांसफर प्रिन्टर आदि।

#### कुशल श्रेणी "दो" जैसे -

केमरा ऑपरेटर, कमर्शियल आर्टिस्ट, ड्राफ्टमेन, हेड कम्प्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, ऑफटिनएचर, ड्रायकलरेचर, लाईनो ऑपरेटर, लाईनो मेकेनिक, मेकेनिक मोनोटाईप, की-बोर्ड ऑपरेटर, मोनोटाईप मेकेनिक, रोटरी प्रेसमेन, सेक्शन होल्डर, सिनियर रीडर आदि।

#### कुशल श्रेणी "तीन" जैसे -

कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, ट्रांसफर प्रिन्टर, सिलेण्डर प्रेसमेन, गिल्डर कारपेंटर, ट्रेडल प्रेसमेनएचर, गिलेटिन ऑपरेटर, रिवाइन्डर स्ट्रीचर मशीनमेन, कटर, बाईन्डर, सिविंग मशीनमेन, रूलिंग मशीन मेन, वायर स्ट्रीचर आदि।

अर्द्ध कुशल श्रेणी "एक" जैसे -

लिथोऑफसेट, फिटरमेन, असिस्टेंट प्रेसमेन, वानिंशमेन, वेक्सीनर, वांक्सीन मशीनमेन, असिस्टेंट प्लेटमेकर, असिस्टेंट ट्रांसफर प्रिन्टर, असिस्टेंट लिथोआर्टिस्ट, टचरप्लेट, ग्रेनर स्टोन पॉलिशर, असिस्टेंट कांपी पेस्टर, असिस्टेंट कटर, असिस्टेंट रोट्टा प्रिंटिंग आदि।

अर्द्ध कुशल श्रेणी "दो" जैसे -

स्टैंडिंग फार्मकीपर, ट्रेसर, फोल्डिंग मशीनमेन, जूनियर रीडर, वाक्स पंचर, हेण्डबॉक्स या इन्वहलप मेकर, डिस्ट्रीब्यूटर, असिस्टेंट केमरा आपरेटर, असिस्टेंट एघर, लेटर प्रेस फिटर, काउण्टर चेकर, नम्बर या पेजिंगमेन, चेकर पुफ कलर या गेली प्रेसमेन, टाईपप्रेसर, रोलर मेकर या कास्टर, इंक ग्राइन्डर, परफोरेटर, लेबर पंचर, रूलिंग फिडर, विमिंगमेन, ड्रायवर, डाकैरूप असिस्टेंट, फाउण्ड्री, असिस्टेंट ग्राइंडिंग ऑपरेटर, जूनियर कम्पोजिटर, जूनियर वाईन्डर, जूनियर मशीन मेन, लाईनोबारमेन, रिटेल सप्लायर फीडर स्टीरियो, टाईपर, टाईप स्टोर कीपर आदि।

अकुशल श्रेणी जैसे -

रोटरी बिलर, हेण्डफोल्डर, बालर, हेल्पर बाइंडिंग बायलर क्लीनर, मजदूर आक्विजलरी, गेलीप्रूफ प्रेसमेन, बायलर अटैडेन्ट, इश्यूचेकर, इंकर, मेटर कास्टर, पेपर सप्लायर, कास्टिंग बाय, रोलर कास्टर, चौकीदार, प्यून, माली, लिथो साधारण ऑफसेट तथा रोट्टा प्रिंटिंग प्रेस में कार्य करने वाला कर्मचारी आदि।

  
(श्रीकांत बनोठ)

श्रम आयुक्त,  
मध्य प्रदेश, इन्दौर

## अनुसूची - ब

## किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रुपये में)

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंडअप कर दैनिक दर	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंडअप कर दैनिक दर
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक							दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
6500	250.00	3150	121.15	9650	371.15	371	मजदूर	6500	250.00	3325	127.88	9825	377.88	378
6705	257.85	3450	132.69	10155	390.58	391	पेकर, पट्टी पेकर, सीपर	6705	257.85	3625	139.42	10330	397.31	397
8435	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457	मुनीम, लेखाकार, बलक आदि	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464
9522	366.23	3450	132.69	12972	498.92	499	शैल्स, मिन्नी पाईन्टर्स	9522	366.23	3625	139.42	13147	505.65	506
9735	374.42	3450	132.69	13185	507.12	507	उच्च कुशल	9735	374.42	3625	139.42	13360	513.85	514
10155	390.57	3450	132.69	13605	523.27	523	कटर्स	10155	390.57	3625	139.42	13780	530.00	530

## स्पष्टीकरण -

- 1-मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राउण्डअप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- 2-अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई, 2014 से दिसंबर, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के उपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रुपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
- 3-इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनवेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

  
(श्रीकांत बनोट)

श्रमायुक्त,  
मध्य प्रदेश, इंदौर


**अनुसूची - स**  
**किसी मुद्रणालय में नियोजन**

मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रुपये में)

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउंडअप कर दैनिक दर
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक							दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
						रुपये	लिपिकीय वर्ग							रुपये
6500	250.00	3150	121.15	9650	371.15	371	अकुशल	6500	250.00	3325	127.88	9825	377.88	378
8435	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457	श्रेणी एक	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464
7057	271.42	3450	132.69	10507	404.12	404	श्रेणी दो	7057	271.42	3625	139.42	10682	410.85	411
9735	374.42	3450	132.69	13185	507.12	507	उच्च कुशल	9735	374.42	3625	139.42	13360	513.85	514
							कुशल श्रेणी							
9685	372.50	3450	132.69	13135	505.19	505	श्रेणी एक	9685	372.50	3625	139.42	13310	511.92	512
9378	360.69	3450	132.69	12828	493.38	493	श्रेणी दो	9378	360.69	3625	139.42	13003	500.12	500
8435	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457	श्रेणी तीन	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464
							अर्द्ध कुशल श्रेणी							
8435	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457	श्रेणी एक	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464
7057	271.42	3450	132.69	10507	404.12	404	श्रेणी दो	7057	271.42	3625	139.42	10682	410.85	411

**स्पष्टीकरण -**

- 1- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणकों को राउंडअप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ-9-7/2006/नियम/घर, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो उन्हें जगले उच्चतर रुपये में पूर्णकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
- 2- अकुशल श्रेणियों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर मेथर व्यूरो नियमों द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रेणियों के लिए अधिकतम भारतीय उपमहाद्वीप न्यून सूचकांक 253 (2001-100) जुलाई, 2014 से दिसंबर, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के उधर प्रति 6 महीने में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपमहाद्वीप न्यून सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबन्धु प्रतिमाह 25 रुपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जायेगा।
- 3- इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रयोजन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिफल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके सम्बन्ध नहीं हो जाती है। (व्युत्पन्न अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

  
 (श्रीकांत चोडरी)  
 श्रमायुक्त,  
 मध्य प्रदेश, इंदौर




### अनुसूची - क

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रूप्यों में)

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउंडअप कर दैनिक दर	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउंडअप कर दैनिक दर
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक								दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
6500	216.66	3150	105.00	9650	321.67	322	अकुशल	6500	216.66	3325	110.83	9825	327.50	328
7057	235.23	3450	115.00	10507	350.23	350	अर्द्धकुशल	7057	235.23	3625	120.83	10682	356.07	356
8435	281.16	3450	115.00	11885	396.17	396	कुशल	8435	281.16	3625	120.83	12060	402.00	402
9735	324.50	3450	115.00	13185	439.50	440	उच्चकुशल	9735	324.50	3625	120.83	13360	445.33	445

#### स्पष्टीकरण -

- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणाकों को राउंडअप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा। विशेष टीप :- उपर्युक्त अनुसूची-क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई हैं, इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।
- अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो सिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए मिखल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई, 2014 से दिसंबर, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के उपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
- इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

  
(श्रीकांत बनोठ)  
श्रमायुक्त,  
मध्य प्रदेश, इंदौर

**श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर**

क्रमांक 2/11/अन्वये/पांच/2015/ 28253-502

इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

**अधिसूचना**

मध्य प्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान, सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं डॉ.वीरेन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश एतदद्वारा अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया। माह जनवरी,2023 से जून,2023 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ:-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87=100)
जनवरी,2023	1170
फरवरी,2023	1171
मार्च,2023	1175
अप्रैल,2023	1180
मई,2023	1186
जून,2023	1196
औसत सूचकांक	$7068 \div 6 = 1179.67$ (1180)

तथा इनका औसत 1180 घोषित करता हूँ, जो कि परिशिष्टित नियोजनों के श्रमिकों के लिये औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4(बी)-1-2014-ए-सोलह, दिनांक 04.03.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।

  
(श्रीकांत बनोठ)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये दिनांक 1.10.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप :-

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)/1-2014-ए-सोलह, दिनांक 04.03.2014 (म.प्र.राजपत्र असाधारण भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014) के अंतर्गत कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए पुनरीक्षित दरों को अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्र. 2/11/अन्वे./पांच/2015/~~28253-502~~ दिनांक ~~25/09/2023~~ के अनुसार कृषि नियोजन में जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1180 रहा है। गत छः माही का औसत 1152 रहा था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1152 के उपर (1180-1152)= 28 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप कृषि नियोजनों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 6/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये (6X28)= 168/- की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 768 (1986-87=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (1180-768) = 412 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये (412X6)= 2472/- प्रतिमाह या (2472+30) रुपये 82.40 प्रतिदिन यानी प्रतिमाह मंहगाई भत्ते सहित देय वेतन 5350+2472= रुपये 7822/- तथा 7822+30= रुपये 260.73 (राउण्ड-अप रुपये 261/-) प्रतिदिन (30 दिन के मान से) दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है। (अनुसूची- द के लिए)।


**अनुसूची - द**  
**कृषि में नियोजन**

**मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रुपये में)**

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंडअप कर दैनिक दर	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंडअप कर दैनिक दर
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक								दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
5350	178.33	2304	76.80	7654	255.13	255	अकुशल कृषि श्रमिक	5350	178.33	2472	82.40	7822	260.73	261

**स्पष्टीकरण - परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता :-**

- (1) न्यूनतम वेतन की दरें तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता, जो लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 768 (1986-87=100) जनवरी से जून, 2014 के आधार आंकड़े के औसत के ऊपर प्रति 6 माह में हुई औसत वृद्धि के अनुपात में 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से प्रतिबिन्दु प्रतिमाह रुपये 6/- (छः रुपये) के मान से देय होगा। 01 अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जुलाई से दिसंबर तक छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। इसी प्रकार 01 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जनवरी से जून तक छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित की जावेगी।
- (2) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राउण्डअप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- (3) मासिक वेतन पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
- (4) अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूवेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))
- (5) इस अधिसूचना के अंतर्गत वेतन दरें महिला एवं पुरुषों के लिए एक समान नियत हैं।
- (6) कृषि नियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।

  
 (श्रीकांत बनोट)  
 श्रमायुक्त,  
 मध्य प्रदेश, इंदौर

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 3/11/अन्वे./पांच/2015/10869-11/18

इंदौर, दिनांक 31/03/2023

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त मध्यप्रदेश इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं डॉ वीरेन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर विगत जनवरी,2022 से दिसम्बर,2022 तक के माहों के लिये सूचकांको में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रकाशित करता हूँ :-

माह/ वर्ष 2022	अखिल भारतीय बीडी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1900=100)
1. जनवरी,2022	8223.90
2. फरवरी	8217.32
3. मार्च	8283.06
4. अप्रैल	8394.82
5. मई	8480.28
6. जून	8493.43
7. जुलाई	8539.44
8. अगस्त	8559.16
9. सितम्बर	8631.48
10. अक्टुबर	8710.36
11. नवम्बर	8710.36
12. दिसम्बर,2022	8697.22
औसत	$101940.83 \div 12 = 8495.06$ औसत (8495)

तथा उक्तानुसार इनका औसत 8495 घोषित करता हूँ। जो कि किसी तम्बाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (एगुअल एवरेज कौस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013-ए-सोलह दिनांक 08.12.2014 (म.प्र. राजपत्र में भाग 4(ग) दिनांक 12 दिसम्बर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता बीडी श्रमिकों को दिनांक 01/04/2023 से 31/03/2024 तक देय रहेगा।

(डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,  
मध्यप्रदेश, इंदौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948  
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (सी)-ए-94-16-ए दिनांक 5.6.97 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 7.6.97) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र. राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014) के अंतर्गत किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है। जो दिनांक 1.04.2023 से 31.03.2024 तक देय है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अ/पांच/15/10869-  
-11118 दिनांक 31-03-23 के अनुसार जनवरी, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 8495 रहा है। इस तरह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (1960=100) के आधार आंकड़ों के औसत के ऊपर (8495-5299=3196 पाइंट) 3196 औसत बिंदुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 1 पैसे प्रति बिंदु प्रति हजार बीड़ी के मान से रुपये 31.96 परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 1.04.2023 से 31.03.2024 तक देय होगा।

(अनुसूची - ई)

\* किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर परिवर्तनशील	मंहगाई भत्ते की दर	कुल वेतन
1	2	3	4
1. बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	74.00	31.96	रु 105.96 किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाल वेतन का योग रुपये 515.00 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना के परिशिष्ट में बताई गई शर्तों के अनुसार कम से कम रु. 515.00 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा

नोट:- एक हजार बीड़ी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 105.96 पैसे के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को बोनस पेटे 9 रुपये 27 पैसे (प्रतिशत 8.33), अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 5 रुपये 30 पैसे (प्रतिशत 5) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 11 रुपये 13 पैसे (प्रतिशत 10) इस प्रकार कुल 131 रुपये 65 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एव नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 22.26 की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बेलने पर दिनांक 1.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि में श्रमिकों से 11 रुपये 13 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि 11 रुपये 13 पैसे उपरान्त शुद्ध राशि 109 रुपये 40 पैसे प्रति हजार बीड़ी देय होगी।

## 2. रिलाई श्रमिक

### अ. बीड़ी के कट्टों पर झिल्ली लगाना

1. लेबल चिपकाने तथा मुड़ों को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य	रुपये 52.39 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 31.96 (02 पैसे प्रति दो हजार)	रुपये 84.35
2. यदि कट्टे पर दोनों ओर लेबल लगाया जाता है	रुपये 58.28 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 31.96 (02 पैसे प्रति दो हजार)	रुपये 88.22

### ब. झिल्ली पर लेबल लगाने संबंधी कार्य

1. झिल्ली पर लेबल लगाना	रुपये 45.95 प्रति एक हजार कट्टों पर	रु. 31.96 (02 पैसे प्रति दो हजार)	रुपये 77.91
2. झिल्ली लगाना	रुपये 33.54 प्रति एक हजार कट्टों पर	रु. 23.97 (03 पैसे प्रति चार हजार)	रुपये 57.51
3. लेबल लगाना	रुपये 12.84 प्रति एक हजार कट्टों पर	रु. 7.99 (02 पैसे प्रति आठ हजार)	रुपये 20.83
4. मुड़ा बनाना या चिपकाना	रुपये 13.25 प्रति एक हजार कट्टों पर	रु. 7.99 (02 पैसे प्रति आठ हजार)	रुपये 21.24

### स. एक हजार कट्टों पर जबकि 25 बीड़ियों का कट्टा हो

1. आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो	रुपये 192.64 प्रति एक लाख बीड़ी पर	रु. 127.84 (04 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर)	रुपये 320.48
2. झिल्ली आड़ी तथा खड़ी लगाने का कार्य हो	रुपये 213.59 प्रति एक लाख बीड़ी पर	रु. 127.84 (04 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर)	रुपये 341.43
3. झिल्ली तथा नक्शी झिल्ली लगाने का कार्य हो	रुपये 213.59 प्रति एक लाख बीड़ी पर	रु. 127.84 (04 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर)	रुपये 341.43

नोट:- बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे, बीड़ी छाटने तथा जांच करने वाले, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्टी वाला रसीईया, ड्रायर (भारी वाहन), हल्का वाहन, एकाउन्टेन्ट, मुनीम, कैंसिबर, गोडाउनकीपर, स्टोरकीपर टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क, मूत्य, चौकीदार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय समय पर निर्धारित कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगे।

इस प्रयोजन के लिये उपर्युक्त कर्मचारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा।

- 1- कुशल:- ड्राइवर (घालक) (भारी वाहन) एकावटैन्ट, मुनीम, केशियर, स्टीरकीपर, हेडक्लर्क, गोठालन कौषर
- 2- अर्धकुशल:- शीटी छांटने तथा जांच करने वाला, गट्टीवाला, रसोइया, ड्राइवर (हल्का वाहन) टाईपिस्ट, बिलमेन्, क्लर्क



(श्री. वीरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,

गण्यप्रदेश, इंदौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948  
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी




**.Effectiv Wages of Beedi Rollers (for rolling of 1000 Beedies)**

**Effective from 1/04/2023 to 31/3/2024**

**V.D.A. revisable annually with effect from 01/04/2023**

1.	Basic Wage	74.00
2.	Variabile Dearness Allowance	31.96
3.	Leave with Salary ( @5% of total wages)	5.30
4.	Total Wages	111.26
5.	Bonus ( @ 8.33% of Total Wages)	9.27
6.	P.F. contribution of employer ( @ 10% of total wages)	11.13
7.	Total wages +Bonus+PF Contribution)= Less Contribution of employer (-)	131.66
8.	Total Wages+Bonus	120.53
9.	Less PF Contribution of employee (@10% of Total Wages (-)	11.13
10.	Net Payable to Beedi Roller	109.40

  
 (Dr. Virendra Singh Rawat)  
 Labour Commissioner  
 Madhya Pradesh, Indore

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 3/11/अन्वे/पांच/2015/ 28503-750

इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन म.प्र.शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.5.1982 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश शासन को प्रत्यायोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से जात कर में, श्रीकांत बनोठ, श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर विगत जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक के माहों के लिये सूचकांकों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रकाशित करता हूँ :-

	माह / वर्ष	अखिल भारतीय बीडी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
1	जनवरी, 2023	382.46
2	फरवरी, 2023	382.18
3	मार्च, 2023	383.90
4	अप्रैल, 2023	386.50
5	मई, 2023	387.94
6	जून, 2023	392.83
	औसत सूचकांक	$2315 \div 6 = 385.97$ (386)

तथा उक्तानुसार इनका औसत 386 घोषित करता हूँ, जो कि किसी तम्याकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (एन्युअल एवरेज कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी)1-2013-ए-सोलह, दिनांक 08.12.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग 4(ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता नियोजित दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय रहेगा।

  
(श्रीकांत बनोठ)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी)-ए-94-16-ए, दिनांक 5.6.1997 (म.प्र.राजपत्र दिनांक 7.6.1997) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी) 1-2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र.राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर, 2014) के अंतर्गत किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है। जो दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अन्वै/पांच/2015/ **28503-750** दिनांक **25/09/2023** के अनुसार जनवरी-2023 से जून-2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 386 रहा है। गत छः माही का औसत 379 रहा था। अतः इसके कारण गत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के उपर  $(386 - 379) = 07$  पाईन्ट) 07 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप बीड़ी नियोजन में दैनिक एवं मासिक वेतन दरों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये  $25 \times 07 = 175$  रुपये प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 239 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में  $386 - 239 = 147$  औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि  $(25 \times 147)$  रुपये 3675/- प्रतिमाह अथवा  $(3675 \div 26) =$  रुपये 175/- प्रतिदिन । प्रतिमाह 8750 रुपये या  $8750 \div 26 = 336$  रुपये 54 पैसे प्रतिदिन दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय होगा।

बीडी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की दर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक निम्नानुसार देय है :-

(आंकड़े रुपये में)

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये राउंड अप में दैनिक दर
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1	तम्बाकू तथा तेन्दूपत्ता देने या बीडिया प्राप्त करने एवं उसकी छंटनी करने संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने के लिए, भट्टी वाला, रसोइया, वाहन ड्रायवर(चालक) हल्के वाहन, टायपिस्ट, क्लर्क बिलमेन	5075	195.19	3675	141.35	8750	336.54	337
2	टुक में माल चढ़ाने या उतारने या बीडिया के पूछी को भरने के कार्य में लगे व्यक्ति, भृत्य, चौकीदार	4945	190.19	3675	141.35	8620	331.54	332
3	ड्रायवर (चालक) भारी वाहन, एकाउन्टेन्ट, मुनीम, केशियन, स्टोर कीपर, गोडाउनकीपर, हेडक्लर्क।	5225	200.96	3675	141.35	8900	342.31	342

#### स्पष्टीकरण

- 1- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/ नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- 2- इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))
- 3- न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित है।
- 4- परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची-ई के स्तम्भ तीन में लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5635(2001=100) पर आधारित है। 5635 सूचकांक

के उपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तम्भ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 01 जनवरी से की जावेगी और स्तम्भ तीन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मानी जावेगी। एक जनवरी से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जनवरी से दिसम्बर तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जावेगी।

- 5- निर्धारित मासिक वेतन केलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
- 6- जहां नियोजक प्रति सप्ताह 5600 बीडी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तम्बाकू, तेन्दूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता है, तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीडी के लिये देय वेतन तथा विशेष मंहगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारण्टेड वेज कहा जायेगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- 7- गारण्टी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गये कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई गई बीडी का जो वेतन अर्जित करेगा वह भी सम्मिलित होगा।
- 8- यदि कर्मचारी किसी अन्य कारण या इच्छा से किसी भी दिन गारण्टेड वेज की राशि से कम वेतन अर्जित करता है, तो कर्मचारी गारण्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
- 9- जो कर्मचारी दिये गये कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीडियां सप्ताह में बनाने के लिये पर्याप्त हो, का पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है, तो वह गारण्टी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
- 10- आग, विपत्ति, महामारी, असैनिक क्षौभ या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है, यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता है, तो कर्मचारी गारण्टी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

  
(श्रीकांत बनोठ)

श्रमायुक्त,  
मध्य प्रदेश, इन्दौर

**श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर**

क्रमांक 4/11/अन्वे/पांच/2015/ 28751-999

इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

**अधिसूचना**

**अगरबत्ती उद्योग**

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर विगत माह जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक के माहों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करता हूँ:-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय अगरबत्ती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जनवरी, 2023	382.46
फरवरी, 2023	382.18
मार्च, 2023	383.90
अप्रैल, 2023	386.50
मई, 2023	387.94
जून, 2023	392.83
औसत सूचकांक	$2315 \div 6 = 385.97 (386)$

तथा विगत छःमाही का औसत 386 घोषित करता हूँ, जो कि अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4(सी)-1-2013-ए-सोलह, दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014 के द्वारा निर्देशित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है।

  
(श्रीकांत बनोठ)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

**परिवर्तनशील-मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप  
अगरबत्ती उद्योग**

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी) 1-2013-ए-सोलह, दिनांक 29.09.2014 एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग-4(ग) दिनांक 10.10.2014 (मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) के अंतर्गत अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 4/11/अन्ये/पांच/2015 / **28751-999** दिनांक **25/09/2023** के अनुसार जनवरी-2023 से जून-2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 386 रहा है। गत छः माही का औसत 379 रहा था। अतः इसके कारण गत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के उपर (386-379) = 07 पाईन्ट) 07 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप अगरबत्ती नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये 25X07 = 175 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 239 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 386-241=145 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये 25X145=3625 प्रतिमाह या 3625+26=139 रुपये 42 पैसे प्रतिदिन दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है तथा इसी तरह प्रति एक हजार अगरबत्ती रोल करने पर (100 पैसे प्रति 4000) के मान से अर्थात् 25 पैसे प्रति एक हजार बिन्दु के मान से कुल बिन्दु 175 पर (145+4=36.25) रुपये 36.25 पैसे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय होगा।

**अनुसूची – एफ**

**अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें**

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते की दरें	कुल न्यूनतम वेतन
(अ) अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण	21.40.	रु. 36.25 100 पैसा प्रति 4000 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 57.65
(ब) सुगंधित (सेंटेड)	22.00	रु. 36.25 100 पैसा प्रति 4000 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 58.25

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए)

(आ) निम्न वजन के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पकेट में भरकर पकेट के दोनों ओर चिट लगाकर पकेट बन्द करना।

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 20.48	रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 49.48
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 21.34	रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 50.34
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 21.34	रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 50.34
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 27.23	रु. 36.25 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 63.48
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 36.58	रु. 47.85 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 84.43
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 41.54	रु. 58.00 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 99.54
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 43.12	रु. 58.00 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 101.12
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 52.76	रु. 72.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 125.26

सिलोफेन या जिलेटिन के

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 21.34	रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 50.34
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 26.60	रु. 36.25 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 62.85
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 33.00	रु. 47.85 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 80.85



4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रु. 34.48	रु. 47.85 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 82.33
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रु. 37.03	रु. 47.85 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 84.88
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रु. 43.12	रु. 58.00 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 101.12
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रु. 51.00	रु. 72.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 123.50
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकडा रु. 54.47	रु. 72.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 126.97

(इ) निम्नानुसार पुंगली बनाकर पोक करना निम्न संख्या में अगरबतियों को गिनकर झिल्ली लपेटना, पुंगलियों में भरना, लेबल या सिलोफेन या जिलेटिन का ब्राउन पेपर लगाकर बन्द करना।

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

1. 10 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा रु. 16.98	रु. 24.65 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 41.63
2. 12 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा रु. 17.80	रु. 24.65 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 42.45
3. 23 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा रु. 21.30	रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 50.30
4. 50 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा रु. 22.19	रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 51.19
5. 100 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा रु. 26.60	रु. 36.25 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 62.85
6. 200 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकडा रु. 28.70	रु. 36.25 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 64.95

(ई) सादे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बन्द करना।

1. 5 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैंकडा रु. 3.85	रु. 5.80 100 पैसा प्रति 2500 (04 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 9.65
2. 10 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैंकडा रु. 4.44	रु. 7.25 100 पैसा प्रति 2200 (05 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 11.69
3. पुगली बनाने के कागज (रोलिंग पेपर्स)	प्रति सैंकडा रु. 36.34	रु. 10.15 100 पैसा प्रति 1500 (07 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 46.49

कर्मचारियों का वर्ग (मासिक दर) न्यूनतम मजदूरी  
दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक

(आंकड़े रुपये में)

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राउण्डअप रुपये में दैनिक दर
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
1	पुडा बनाने वाला, मसाला भरने वाला, भृत्य चौकीदार.	5939	228.42	3625	139.42	9564	367.85	368
2	टाइपिस्ट, क्लर्क, पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला.	7057	271.42	3625	139.42	10682	410.85	411
3	एकाउन्टेंट, केशियर, गोडाउन कीपर, मिस्त्री, ड्रायवर, पेटी बनाने वाला.	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464

नोट - अगरबत्ती उद्योग से संबंध कर्मचारी जैसे, पेटी बनाने वाला, मिस्त्री, ड्रायवर, पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला, एकाउन्टेंट, केशियर, गोडाउन कीपर, टाइपिस्ट, क्लर्क, भृत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन कुशल, अर्द्धकुशल, एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी के अनुसार विनियमित की जावेगी।

स्पष्टीकरण -


1. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7-2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

2. अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता (वी.डी.ए.) जनवरी, 2014 से जून, 2014 में औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके पश्चात सूचकांक कहा जावेगा) 241 (2001=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रतिबिन्दु सम्मुख अंकित किये गये अनुसार दर से तथा मासिक दर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिये रुपये 25.00 प्रति बिन्दु प्रति माह की दर से संदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक छःमाही जुलाई से दिसंबर

तथा जनवरी से जून, जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और क्रमशः 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से देय होगी। इस प्रकार संगणित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर घोषित किया जावेगा।

3. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विज्ञापन दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा।

  
(श्रीकांत बनोठ)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 6/11/अन्य./पांच/2015/ 29000-250

इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

अधिसूचना

विषय - न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए दिनांक 01.10.2023 से न्यूनतम वेतन की दरें, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील करने के संबंध में।

-0-

म.प्र.राजपत्र दिनांक 10 जून, 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670 एवं 671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(सी)1-2013-अ-16 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई थी, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी से जून, 2014) 2001= 100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है, जो दिनांक 10 जून, 2016 से लागू है।

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में क्रमांक 1 से 36, 39 से 55 तथा 57 से 66, 68 एवं 70 से 72 तक कुल 67 नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरें अभी तक घोषित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते को विनियोजित करते हुए प्रभावशील की गई है। माह जनवरी से जून, 2023 की छः माहों का औसत सूचकांक 386 रहा है, अतः इसके कारण गत छः माहों में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत (379) के उपर (386-379)= 07 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। फलस्वरूप दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक जारी दरें निम्नानुसार रहेगी:-

अनुसूची - अ

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।

(26 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500	250.00	3325	127.88	9825	377.88	378
अर्द्धकुशल	7057	271.42	3625	139.42	10682	410.85	411
कुशल	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464
उच्चकुशल	9735	374.42	3625	139.42	13360	513.85	514

अनुसूची - ब

किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।

(26 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
मजदूर	6500	250.00	3325	127.88	9825	377.88	378
पेकर, पट्टी पेकर, सीपर	6705	257.85	3625	139.42	13330	397.31	397
मुनीम, लेखाकार, क्लर्क आदि	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464
रोलर्स, मिस्त्री पाईन्टर्स	9522	366.23	3625	139.42	13147	505.65	506
उच्चकुशल	9735	374.42	3625	139.42	13360	513.85	514
कटर्स	10155	390.57	3625	139.42	13780	530.00	530

**अनुसूची - स**  
**किसी मुद्रणालय में नियोजन**  
 मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।  
 (26 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
लिपिकीय वर्ग							प्रतिदिन रुपये
अकुशल	6500	250.00	3325	127.88	9825	377.88	378
श्रेणी एक	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464
श्रेणी दो	7057	271.42	3625	139.42	10682	410.85	411
उच्च कुशल	9735	374.42	3625	139.42	13360	513.85	514
कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	9685	372.50	3625	139.42	13310	511.92	512
श्रेणी दो	9378	360.69	3625	139.42	13003	500.12	500
श्रेणी तीन	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464
अर्द्ध कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464
श्रेणी दो	7057	271.42	3625	139.42	10682	410.85	411

**अनुसूची - क**  
 मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।  
 (30 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500	216.66	3325	110.83	9825	327.50	328
अर्द्धकुशल	7057	235.23	3625	120.83	10682	356.07	356
कुशल	8435	281.16	3625	120.83	12060	402.00	402
उच्चकुशल	9735	324.50	3625	120.83	13360	445.33	445

**अनुसूची - द (कृषि नियोजन)**

जनवरी से जून, 2023 छःमाही का कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1180 है, इसके पूर्व की छः माही का औसत 1152 था, जिसके कारण 28 बिन्दुओं की वृद्धि होने से कृषि नियोजन में मंहगाई भत्ता सहित निम्नलिखित न्यूनतम वेतन देय होगा :- (30 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउंडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	5350	178.33	2472	82.40	7822	260.73	261

### बीडी नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (1960=100) के औसत के उपर 3196 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरे दिनांक 01.04.2023 से 31.3.2024 तक निम्नानुसार रहेगी :-

#### अनुसूची - ई (बीडी नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रुपये	कुल वेतन रुपये
बीडी रोलर (1000 बीडी बनाने के लिए)	74.00	31.96	105.96

नोट - एक हजार बीडी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्त रुपये 105.96 पैसे के अतिरिक्त बीडी श्रमिकों को बोनस पेटे 9 रुपये 27 पैसे (8.33%), अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 5 रुपये 30 पैसे (5%) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 11 रुपये 13 पैसे (10%) इस प्रकार कुल 131 रुपये 65 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 22.26 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी बेलने पर दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि में श्रमिकों से 11 रुपये 13 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि 11 रुपये 13 पैसे उपरांत शुद्ध राशि 109 रुपये 40 पैसे प्रति हजार बीडी देय होगी।

### अगरबत्ती नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के औसत के उपर गत छः माहों में औसत सूचकांक 379 के उपर औसत 07 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरे निम्नानुसार रहेगी :-

#### अनुसूची - एफ (अगरबत्ती नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रुपये	कुल वेतन रुपये
(अ) अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण दर	21.40.	रु. 36.25	रुपये 57.65
(ब) सुगंधित (सैंटेड)	22.00	रु. 36.25	रुपये 58.25

स्पष्टीकरण - 1- म.प्र.न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 20.6.2006 में हुई चर्चा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव अनुसार मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणाकों को राउण्डअप करके ही दैनिक/मासिक मजदूरी निर्धारित की जाए। तदनुसृत प्रतिदिन रुपये में राउण्डअप कर दैनिक दरें निर्धारित की जाए।

- 2- वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ 9-79-7/2006/नियम/चार, दि. 20 सितंबर, 2006 में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगरे उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- 3- राज्य शासन द्वारा दिनांक 15 मई, 2015 को जारी एवं म.प्र.राजपत्र दिनांक 22 मई, 2015 में प्रकाशित अकुशल श्रमिकों हेतु मजदूरी की दर दिनांक 01.06.2015 से प्रभावशील की गई है।

  
(श्रीकांत बनोठ)

श्रमायुक्त,  
मध्य प्रदेश, इन्दौर

### प्रेस विज्ञप्ति

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के लिए दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक प्रभावशील वेतन है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत श्रमिकों को देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर में दिनांक 01.10.2023 से रुपये 175.00 प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। अतः न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 67 अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के मासिक एवं दैनिक वेतन की पुनरीक्षित दरें घोषित की जाती हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) पर आधारित कर संबद्ध की गई है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक की छःमाही में कुल सूचकांक का औसत 386 रहा है। इसके कारण गत छःमाही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उपर 07 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में रुपये 25.00 प्रतिबिन्दु की दर से  $25 \times 7 = 175.00$  रुपये (एक सौ पचहत्तर रुपये) प्रतिमाह की वृद्धि श्रमायुक्त द्वारा घोषित की गई है। इस प्रकार दिनांक 01.10.2023 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता कुल रुपये 3625/- प्रतिमाह अथवा रुपये 139.42 प्रतिदिन देय है।

अतः श्रमायुक्त द्वारा घोषित मंहगाई भत्ते की दरों के अनुसार दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से आगामी 6 माहों के लिए 67 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 9825/- या प्रतिदिन रुपये 377.88, अर्द्धकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 10682/- या प्रतिदिन रुपये 410.85, कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 12060/- या प्रतिदिन रुपये 463.85 तथा उच्च कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 13360/- या प्रतिदिन रुपये 514.00 पैसे देय होगा।

कृषि नियोजन में गत छःमाही में मान्य किये गये अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के उपर (1180-1152) = 28 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके आधार पर वर्तमान मंहगाई भत्ता में प्रतिमाह रुपये 168/- की वृद्धि श्रमायुक्त द्वारा घोषित की गई है। जिसके आधार पर अकुशल कृषि श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 7822/- या प्रतिदिन रुपये 260.73 पैसे की मजदूरी मंहगाई भत्ते सहित दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक के लिए देय होगा।

एक हजार बीडी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्त रुपये 105.96 पैसे के अतिरिक्त बीडी श्रमिकों को बोनस पेटे रुपये 9.27 पैसे (8%), अर्जित अवकाश के एवज में नकद भुगतान रुपये 05.30 पैसे (5%), एवं भविष्य निधि वायट नियोजक का अंशदान रुपये 11.13 पैसे (10%), इस प्रकार कुल रुपये 131.65 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 22.26 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी बेलने पर दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 की अवधि में श्रमिकों से रुपये 11.13 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि रुपये 11.13 पैसे उपरान्त शुद्ध राशि रुपये 109.40 पैसे प्रति हजार बीडी देय होगी।

अगरबत्ती नियोजन में गत छःमाही का औसत 386 रहा है। जो इसके पूर्व की छःमाही के औसत 379 से ज्यादा है, इसके कारण गत छःमाही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के उपर (386-241) 145 औसत बिन्दुओं एवं अगरबत्ती नियोजन में भी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (386-379) औसत 07 बिन्दुओं की वृद्धि होने के कारण दिनांक 01.10.2023 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मिलाकर साधारण अगरबत्ती के लिए रुपये 57.65 पैसे तथा सुगंधित अगरबत्ती के लिए रुपये 58.25 पैसे प्रतिहजार अगरबत्ती की मजदूरी देय होगी।



स्पष्टीकरण -

- (1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20-सितम्बर 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वै/पांच/2015/ 29251-53  
प्रतिलिपि -

इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

- 1- संचालक, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल  
की ओर मध्यप्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- 2- अपर संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, इन्दौर की ओर प्रसारण हेतु प्रेषित।



(श्रीकांत बनोठ)

श्रमायुक्त,  
मध्य प्रदेश, इन्दौर

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वै/पांच/2015/ 29254-500

इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

प्रति,

- 1- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-514, दिनांक 30.6.1992 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना, अधीक्षण, भोपाल।
- 4- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल ।
- 5- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
- 6- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
- 7- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, कृषक कल्याण विभाग, भोपाल।
- 8- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल (राहत शाखा)
- 9- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, भोपाल ।
- 10- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पुनर्वास विभाग, भोपाल।
- 11- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल ।
- 12- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल ।
- 13- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल।
- 14- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
- 15- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल।
- 16- सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, म.प्र. इन्दौर।
- 17- महालेखाकार, प्रथम एवं द्वितीय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 18- उप नियंत्रक, शासकीय प्रादेशिक मुद्रणालय, ग्वालियर, म.प्र. की ओर अधिसूचना की प्रति भेजते हुए अनुरोध है कि इस अधिसूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक के भाग 3(1) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 19- आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित ।
- 20- राहत आयुक्त, वल्लभ भवन, भोपाल।
- 21- उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 22- केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, इन्दौर की ओर प्रसारण हेतु प्रेषित ।
- 23- समस्त संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश।
- 24- समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
- 25- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
- 26- संचालक, कृषि विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
- 27- प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
- 28- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
- 29- प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
- 30- प्रमुख वन संरक्षक, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
- 31- अपर श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर।

- 32- समस्त उप श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश।
- 33- संचालक / समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश।
- 34- समस्त सहायक श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश।
- 35- समस्त श्रम पदाधिकारी, मध्य प्रदेश।
- 36- प्रभारी अधिकारी, समस्त शाखाएं, श्रमायुक्त कार्यालय, म.प्र. इन्दौर।
- 37- सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 38- सचिव, म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 39- सचिव, म.प्र. स्लेट एवं पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंडसौर।
- 40- कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल।
- 41- लेबर व्यूरो, शिमला (हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत समस्त नियोजनों में न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील कराने के लिए जिला में पदस्थ श्रम निरीक्षकों को संबंधित प्रभारी अधिकारी आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करें।



(श्रीकांत बनोठ)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

## श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वे/पांच/2015/ 23501-750

इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

प्रति,

- 1- कलेक्टर, जिला इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बडवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्यौपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया।
- 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बडवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्यौपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया।
- 3- उप श्रम आयुक्त, इन्दौर/ भोपाल।
- 4- सहायक श्रम आयुक्त, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना, भोपाल, होशंगाबाद(नर्मदापुरम), सागर, जबलपुर, सतना, सिंगरोली, शहडोल।
- 5- श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी / श्रम निरीक्षक, इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बडवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्यौपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया मध्य प्रदेश।
- 6- संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, म.प्र. इन्दौर।
- 7- संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर, भोपाल।
- 8- उप संचालक/ सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर, हायजिन लेव इन्दौर, खण्डवा, देवास, मंदसौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सिंगरोली, बीना(सागर)।
- 9- सचिव, म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 10- सचिव, म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 11- सचिव, म.प्र. स्लेट एवं पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर।
- 12- कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल।
- 13- लेबर ब्यूरो, शिमला (हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विषय - न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के लिये 01 अक्टूबर 2023 से लागू परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन की दरें।

उपरोक्त विषयांतर्गत श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत समस्त नियोजनों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन की दरें दिनांक 01.10.2023 से पुनरीक्षित/ प्रभावशील की गई है। उक्त दरें पुस्तक के रूप में श्रम विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिये श्रम विभाग की वेबसाइट [www.labour.mponline.gov.in](http://www.labour.mponline.gov.in) पर लोग ऑन करने का कष्ट करें।

  
(श्रीकांत बनोठ)

श्रमायुक्त,  
मध्य प्रदेश, इन्दौर



શ્રમ આયુક્તની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય,  
બ્લોક નં ૧૧-૧૨ અને ૧૪, બીજો માળ,  
ઉદ્યોગ ભવન, સેક્ટર-૧૧, ગાંધીનગર.  
Email : labourbranch6@gmail.com

ક્રમાંક:શ.આ.૬/ટે.૩/૧૧૨૬ /૨૦૨૩  
૦૮  
૧૧૦૮

તા: ૩૦/૦૮/૨૦૨૩

પ્રતિ,

- (૧) અધિક શ્રમ આયુક્તશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર.
- (૨) નાયબ શ્રમ આયુક્તશ્રી અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ (તાબાની કચેરીઓને પરિપત્રિત કરવા સારૂ)
- (૩) કચેરીની સર્વે શાખાઓ, ૧,૨,૩,૪,૫,૬,૭,૮,૯,૧૦,૧૧,૧૨, ખાસ સેલ, બી.ઓ.સી.ડબલ્યુ અને આઈ.ટી.સેલ.
- (૪) શાખાની સિલેક્ટ ક્ષેત્ર/ પરિપત્ર ક્ષેત્ર

શ્રમ આયુક્ત,

ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર

લઘુત્તમ વેતન અધિનિયમ, ૧૯૪૮ હેઠળના ખાસ ભથ્થાની જાહેરાત.

લઘુત્તમ વેતન અધિનિયમ, ૧૯૪૮ હેઠળ સરકારશ્રીએ જે તે વ્યવસાય માટે નિયત કરેલ મૂળ પગારના દર ઉપરાંત જીવન નિર્વાહ આંક ઉપર આધારિત આપવાના ખાસ ભથ્થાના દૈનિક દર હવે તા.૦૧-૧૦-૨૦૨૩ થી તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૪ સુધીના સમય માટે નીચે મુજબ રહેશે.

ક્રમ	અનુસૂચિત વ્યવસાય/વ્યવસાય	ખાસ ભથ્થાના દૈનિક દર (રૂ. પૈસા)
૧	૪૬ અનુસૂચિત વ્યવસાય, શીપ બ્રેડિંગ તથા સ્વીપીંગ અને કલ્ચીનીંગ કામની વ્યવસાય (વ્યવસાય)	રૂ.૨૧.૦૦
૨	૧૭ અનુસૂચિત વ્યવસાય (૧.ઈંટ ઉત્પાદન, ૨.જરી ઉદ્યોગ, ૩.રેડી મેડ ગારમેન્ટ, ૪.મીઠા ઉદ્યોગ, ૫.તમાકુ અને બીડી બનાવવાનો ઉદ્યોગ તથા ૬.કૃષિ વ્યવસાય)	રૂ.૧૦૭.૦૦

આમ, અનુ નં ૧ અને ૨ ની સામે દર્શાવેલ વ્યવસાયોમાં ઉપરોક્ત સમયગાળા દરમિયાનના ખાસ ભથ્થાના દૈનિક દર જાહેર કરવામાં આવે છે.

નાયબ શ્રમ આયુક્ત  
અને લઘુત્તમ વેતન અધિનિયમ, ૧૯૪૮  
અન્વયેના સહાય અધિકારી, ગાંધીનગર

File No.1/8(1)/2023-LS-II  
Government of India  
Ministry of Labour & Employment  
Office of the Chief Labour Commissioner(C)  
New Delhi

Dated: 26/9/2023

**ORDER**

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 186(E) dated 19<sup>th</sup> January, 2017 of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance for the employees employed in **Agriculture** w.e.f. **01.10.2023** on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 385.97 from 378.58 as on 30.06.2023 (Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 7.39 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2023:-

Category of worker	Rates of V.D.A. Area wise per day (in Rupees)		
	'A'	'B'	'C'
Unskilled	147	135	133
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	159	147	136
Skilled/Clerical	174	159	147
Highly Skilled	191	179	159

Therefore, the minimum rates of wages including the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.10.2023 to the employees working in Agriculture shall be as under:-

Category of worker	Rates of wages including V.D.A. Area wise per day (in Rupees)		
	A	B	C
Unskilled	333+147=480	303+135=438	300+133=433
Semi- Skilled/Unskilled Supervisory	364+159=523	335+147=482	307+136=443
Skilled/Clerical	395+174=569	364+159=523	334+147=481
Highly Skilled	438+191=629	407+179=586	364+159=523

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19<sup>th</sup> January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.

  
(Remis Tiru)  
Chief Labour Commissioner(C)

F.No.1/8(2)/2023-LS-II  
Government of India  
Ministry of Labour & Employment  
Office of the Chief Labour Commissioner(C)  
New Delhi

Dated: 26/9/2023

**ORDER**

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 2413(E) dated **28<sup>th</sup> July, 2017** of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 385.97 from 378.58 as on 30.06.2023 (Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 7.39 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2023;-

Rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in employments in **Gypsum Mines, Barytes Mines, Bauxite Mines, Manganese Mines, China Clay Mines, Kyanite Mines, Copper Mines, Clay Mines, Magnesite Mines, White Clay Mines, Stone Mines, Steatite Mines (including the mines producing Soap Stones and Talc), Ochre Mines, Asbestos Mines, Fire Clay Mines, Chromite Mines, Quartzite Mines, Quartz Mines, Silica Mines, Graphite Mines, Felspar Mines, Laterite Mines, Dolomite Mines, Red Oxide Mines, Wolfram Mines Iron Ore Mines, Granite Mines, Rock Phosphate Mines, Hematite Mines, Marble and Calcite Mines, Uranium Mines, Mica Mines, Lignite Mines, Gravel Mines, Slate Mines and Magnetite Mines.**


Category of worker	Rates of V.D.A. (in Rs.) per day	
	For work above ground	For work below ground
Unskilled	154	191
Semi-Skilled/Unskilled	191	228
Supervisory	228	265
Skilled/ Clerical	265	295
Highly Skilled		

Therefore the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance Payable w.e.f. 01.10.2023 will be as under:-

Category of worker	Rates of wages including V.D.A. (in Rs.) per day	
	For work above ground	For work below ground
Unskilled	350+154=504	437+191=628
Semi-Skilled/ Unskilled	437+191=628	523+228=751
Supervisory	523+228=751	610+265=875
Skilled/ Clerical	610+265=875	683+295=978
Highly Skilled		

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19<sup>th</sup> January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.

  
(Remis Tiru)  
Chief Labour Commissioner(C)



F.No.1/8(3)/2023-LS-II  
Government of India  
Ministry of Labour & Employment  
Office of the Chief Labour Commissioner(C)  
New Delhi

Dated: 26/9/2023

**ORDER**

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 188(E) dated 19<sup>th</sup> January, 2017 of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 385.97 from 378.58 as on 30.06.2023 (Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 7.39 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2023:-

The rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in **CONSTRUCTION OR MAINTENANCE OF ROADS OR RUNWAYS OR IN BUILDING OPERATIONS INCLUDING LAYING DOWN UNDERGROUND ELECTRIC, WIRELESS, RADIO, TELEVISION, TELEPHONE, TELEGRAPH AND OVERSEAS COMMUNICATION CABLES AND SIMILAR OTHER UNDERGROUND CABLING WORK, ELECTRIC LINES, WATER SUPPLY LINES AND SEWERAGE PIPE LINES.**


Category of worker	Rates of V.D.A. Area wise per day (in Rupees)		
	A	B	C
Unskilled	228	191	154
Semi-Skilled/Unskilled	253	215	179
Supervisory		253	215
Skilled/ Clerical	278	278	253
Highly Skilled	299		

Therefore the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.10.2023 will be as under :-

Category of worker	Rates of wages including V.D.A. per day (in Rupees)		
	A Area	B Area	C Area
Unskilled	523+228=751	437+191=628	350+154=504
Semi-Skilled/Unskilled	579+253=832	494+215=709	410+179=589
Supervisory		579+253=832	494+215=709
Skilled/ Clerical	637+278=915	637+278=915	579+253=832
Highly Skilled	693+299=992		

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19<sup>th</sup> January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.

  
(Remis Tiru)  
Chief Labour Commissioner(C)

F.No.1/8(4)/2023-LS-II  
Government of India  
Ministry of Labour & Employment  
Office of the Chief Labour Commissioner(C)  
New Delhi

Dated: 26/9/2023

**ORDER**

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 192(E) dated 19<sup>th</sup> January, 2017 of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 385.97 from 378.58 as on 30.06.2023 (Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 7.39 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2023:-

Rates of VDA for employees employed in loading and unloading in **(i) Goods sheds, Parcel Offices of Railways, (ii) Other Goods-Sheds, Go-downs, Warehouses and other similar employments ; (iii) Docks and Ports; and (iv) Passengers and Goods and Cargo Carried out at Airports (both international and domestic).**

Therefore, the minimum rates of wages including the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.10.2023 to the employees shall be as under:-

AREA	RATES OF V.D.A. PER DAY (IN RS.)
'A'	228
'B'	191
'C'	154

Therefore the minimum rates of wages showing the basic rates and variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.10.2023 shall be as under:-

AREA	RATES OF WAGES PLUS V.D. A. PER DAY			Total
	Basic Wages (Rs.)		V.D.A. (Rs.)	
'A'	523	+	228	= 751
'B'	437	+	191	= 628
'C'	350	+	154	= 504

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19<sup>th</sup> January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.

  
(Remis Tiru)  
Chief Labour Commissioner(C)

No.1/8(5)/2023-LS-II  
Government of India  
Ministry of Labour & Employment  
Office of the Chief Labour Commissioner(C)  
New Delhi

Dated: 26/9/2023

**ORDER**

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 190(E) dated 19<sup>th</sup> January, 2017 of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 385.97 from 378.58 as on 30.06.2023 (Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 7.39 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2023;-

**RATES OF V.D.A.FOR EMPLOYEES EMPLOYED IN "Employment of Sweeping and Cleaning excluding activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993".**


AREA	RATES OF V.D.A. PER DAY (in Rs.)
A	228
B	191
C	154

Therefore, the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f 01.10.2023 shall be as under:-

AREA	RATES OF WAGES PLUS V.D.A PER DAY			Total (Rs.)
	Basic Wages (Rs.)		V.D.A (Rs.)	
A	523	+	228	= 751
B	437	+	191	= 628
C	350	+	154	= 504

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19<sup>th</sup> January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.

  
(Remis Tiru)  
Chief Labour Commissioner(C)

File No.1/8(6)/2023-LS-II  
Government of India  
Ministry of Labour & Employment  
Office of the Chief Labour Commissioner(C)  
New Delhi

Dated: 26/9/2023

**ORDER**

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 191(E) dated **19<sup>th</sup> January, 2017** of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 385.97 from 378.58 as on 30.06.2023 (Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 7.39 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2023;-

I. RATES OF VDA. for employees employed in **WATCH & WARD (without arms)** shall be as under:-

AREA	RATES OF V.D.A. PER DAY (in Rs.)
A	278
B	253
C	215

Therefore, the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f 01.10.2023 to employees employed in **WATCH AND WARD (without arms)** shall be as under:-

AREA	RATES OF WAGES PLUS V.D.A PER DAY		
	Basic Wages (Rs.)	V.D.A. (Rs.)	Total (Rs.)
A	637	+ 278	= 915
B	579	+ 253	= 832
C	494	+ 215	= 709

II. RATES OF VDA for employees employed in **WATCH AND WARD (with arms)** shall be as under:-

AREA	RATES OF VDA PER DAY (in Rs.)
A	299
B	278
C	253

Therefore, the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.10.2023 to employees employed in **WATCH AND WARD (with arms)** shall be as under:-

AREA	RATES OF WAGES PLUS VDA PER DAY		
	Basic Wages (Rs.)	VDA. (Rs.)	Total (Rs.)
A	693	+ 299	= 992
B	637	+ 278	= 915
C	579	+ 253	= 832

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19<sup>th</sup> January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.

  
(Remis Tiru)  
Chief Labour Commissioner(C)

File No.1/8/(7)2023 LS-II  
Government of India  
Ministry of Labour & Employment  
Office of the Chief Labour Commissioner(C)  
New Delhi

Dated: 26/9/2023

**ORDER**

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 189(E) dated **19<sup>th</sup> January, 2017** of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 385.97 from 378.58 as on 30.06.2023 (Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 7.39 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.10.2023;-

Rates of VDA for employees employed in "**STONE MINES**" shall be as under:-

Item of work	Rates of Variable Dearness Allowance as on 01.10.2023
1. Excavation & removal of over burden with 50 meters lead/ 1.5 meters lift. *	
(i) Soft Soil	Rs.157
(ii) Soft Soil with rock	Rs.232
(ii) Rock	Rs.307
2. Removal and stacking of rejected stones with 50 metres lead/ 1.5 Metres lift. *	Rs.125
3. Stone breaking or Stone Crushing for the Stone size of:-	
1.0 inch to 1.5 inches	Rs.930
Above 1.5 inches to 3.0 inches	Rs.795
Above 3.0 inches to 5.0 inches	Rs.469
Above 5.0 inches	Rs.387

Therefore, the minimum piece rate wages showing the basic and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.10.2023 to the employees employed in Stone Mines shall be as under:-

Category	Basic Wages	VDA	Total
1. Excavation & removal of over burden with 50 meters Lead/1.5 Meters lift. *			
(i) Soft Soil	Rs.351 +	Rs.157 =	Rs. 508
(ii) Soft Soil with rock	Rs.531 +	Rs.232 =	Rs. 763
(iii) Rock	Rs.703 +	Rs.307 =	Rs.1010
2. Removal and stacking of rejected stones with 50 meters lead/ 1.5 meters lift. *	Rs. 283 +	Rs.125 =	Rs.408
3. Stone Breaking or Stone Crushing for stone size of category **			
	Basic Wages	VDA	Total
(i) 1.0 inch to 1.5 inches	Rs.2171 +	Rs930 =	Rs.3101
(ii) Above 1.5 inches to 3.0 inches	Rs.1857 +	Rs.795 =	Rs.2652
(iii) Above 3.0 inches to 5.0 inches	Rs.1088 +	Rs.469 =	Rs.1557
(iv) Above 5.0 inches	Rs.893 +	Rs.387 =	Rs.1280

The workers employed on minimum guaranteed time rate of wages per day shall be entitled to time rate of minimum wages plus special allowance, if any, for unskilled category of above ground workers revised from time to time by the Central Government in respect of scheduled employment in stone mines.

\* Per 2.831 cube meters (100 cubic feet)

\*\* Per truck load of 5.662 cubic meters (200 cubic feet)

  
(Remis Tiru)  
Chief Labour Commissioner(C)

Government of West Bengal  
Labour Department  
I.R. Branch  
N. S. Building, 12<sup>th</sup> Floor,  
1, Kiran Sankar Roy Road, Kolkata-1

No. Labr./ 853 / (LC-IR)/22013/56/2019

Date : 15-09-2023

The Governor of West Bengal makes an appeal to all employers and employees of the state covered under payment of Bonus Act, 1965 as amended by the payment of Bonus (Amendment) Act, 2015 to stick to the following guidelines while setting the legitimate dues of workers in respect of payment of bonus, in view of ensuing **Durga Puja**, for the year **2023** in terms of the said Act, in the interest of maintenance of industrial peace and harmony.

1. Keeping in view the need for maintenance of industrial peace and harmony, it is expected that the employers, while taking note of the statutory provisions under payment of Bonus Act, 1965 as amended by the payment of Bonus (Amendment) Act, 2015 would adopt a flexible attitude on the issue of payment of bonus.
2. All establishments where bonus was paid in the previous year are requested to see that the rate of bonus payable this year is not lower than that of the last year. In case, however, where there is a dispute, the same may be settled amicably through negotiations. Employers are also requested to consider payment of an amount of ex-gratia in lieu of bonus as is admissible at the maximum stage, to those workmen and employees who have crossed the eligibility limit as per payment of Bonus Act, 1965.
3. All employees, whether in casual employment or re-employed after retirement or employed through contractors and have worked for not less than 30 days during the year should be paid bonus.
4. The employers who are in default towards payment of bonus for the previous years are also being requested to make such payments this year along with the payment of bonus for the current year.
5. The Government also appeals to all trade unions and employers' organizations to extend their co-operation in maintenance of a climate of industrial peace and exercise their good offices for peaceful and effective settlement of industrial disputes concerning bonus without any disruption of work.
6. Government has noted with concern that in many cases, in previous years, employees of IT sector, Hotels and Restaurants, Shops & Establishments, Security Workers and some workers in jute mills did not get any bonus. It is hoped that situation will not be similar this year.
7. All payments of bonus should be completed by 06.10.2023 i.e. before commencement of **Durga Puja, 2023** vide No. 1483(60) - F(P2) dated 28.03.2023 of Finance (Audit) Department.
8. The Government expects that all employers including the public sector undertakings will act according to this appeal.
9. The Government also expects that all employers' organizations will advise their constituents to act according to this appeal.

Contd..

## LABR-22013/56/2019-IR SEC-Dept. of LABOUR

I/437260/2023

10. Most of the persons employed in the unorganized sectors are not covered under the Payment of Bonus Act 1965 as amended by the payment of Bonus (Amendment) Act, 2015 and do not get any bonus. Government expects that the employers in such cases shall also pay bonus/ex-gratia to their workers by 06.10.2023 i.e. before commencement of **Durga Puja, 2023**.

This is issued in continuation of T.O. earlier No. Labr./286/(LC-IR)/22013/56/2019 dated 12.04.2023.

*May*  
15/9/23  
Additional Chief Secretary  
to the Govt. of West Bengal

No.Labr./ 853 /1(54)/(LC-IR)

Date: 15-09-2023

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. -----(All employers organizations)
2. -----(All trade Unions)
3. District Magistrate -----
4. O.S.D. & E.O. Labour Commissioner, N.S. Building, 11<sup>th</sup> Floor, 1, K.S. Roy Road, Kolkata – 700001.
5. P.S. to MIC, Labour Department.
6. P.S. to Additional Chief Secretary, Labour Department.
7. P.A. to Joint Secretary, Labour Department.
- ✓ 8. The Deputy Secretary, IT Cell, Labour Department, with the request to cast in the Department's website.

*30*  
Assistant Secretary  
to the Govt. of West Bengal

H.A.-(IT)  
15/09/2023

Dipankar  
15/09/2023







स. P-11018/1/2021-यो व वि  
18.09.2023

दिनांक:

परिपत्र  
**CIRCULAR**

विषय : तमिलनाडु और ओडिशा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन नगर निगम/नगरपालिका निकायों के अंतर्गत आकस्मिक एवं संविदा कर्मिकों के लिए क. रा. बी. अधिनियम, 1948 की धारा 1(5) के तहत क. रा. बी. योजना का विस्तार।

**Subject: Extension of ESIC Scheme to the Casual/Contractual workers under Municipal Corporation/Municipal Bodies under the control of State Government of Tamil Nadu and Odisha under Section 1(5) of ESI Act, 1948 .**

उपरोक्त विषय पर, तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 02.09.2023 को जारी की गई GO (Ms) No.146 और ओडिशा राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.09.2023 को जारी की गई अधिसूचना सं. SS-II-SC-2/2021/8627/LESI दिनांक 14.08.2023 की प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(5) के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य सरकार और ओडिशा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन नगर निगम और नगर पालिका परिषदों और अन्य शहरी स्थानीय निकायों सहित नगर निकायों में कार्यरत आकस्मिक एवं संविदागत कर्मचारियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार किया गया है।

Enclosed herewith are a copies of GO (Ms) No. 146 dated 02.09.2023 issued by State Govt. of Tamil Nadu on 04.09.2023 and Notification No. SS-II-SC-2/2021/8627/LESI dated 14.08.2023 issued by State Govt. of Odisha on 14.09.2023 for kind information and necessary action.

Extension of coverage under Section 1(5) of the ESI Act, 1948 to the Casual and Contractual workers engaged under Municipal Bodies including Municipal Corporation and Municipal Councils and Other Urban Local Bodies run by the State Govt of Tamil Nadu and Odisha.

क्र. स.	राज्य/ केन्द्रीय शासित प्रदेश	Date of Final Notification	Date of Issue of Notification.
1.	तमिल नाडु/Tamil Nadu	02.09.2023	04.09.2023
2.	ओडिशा/Odisha	14.08.2023	14.09.2023

संलग्न – यथोपरि

भवदीय,

**Signed by Akhilesh Kumar**

**Date: 19-09-2023 11:31:27**

**Reason: Approved**  
सहायक निदेशक (यो. एवं वि.)

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. उप निदेशक (जन संपर्क शाखा) को मुख्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।



### ABSTRACT

Employees State Insurance Schemes – Extension of Employees State Insurance Coverage to casual / contract employees of Municipal Corporation / Bodies under the control of State Government – Final Notification under section 1 (5) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (Central Act XXXIV of 1948) – Orders issued.

### LABOUR WELFARE AND SKILL DEVELOPMENT (K1) DEPARTMENT

G.O.(Ms.) No.146

Dated : 02.09.2023

சோபகிருது. ஆவணி - 16

திருவள்ளூர் ஆண்டு- 2054

Read:-

1. G.O.(Ms).No.146, Labour Welfare and Skill Development (K1) Department, dated 10.11.2022.
2. From the Regional Director, Employees State Insurance Corporation, Chennai – 34, letter No.51-N-13/50/2014-MC/Co-ordn, dated 02.2023.

### ORDER:

In the Government Order first read above, orders were issued for the publication of Preliminary Notification in respect of extension of the provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948 (Central Act XXXIV of 1948) coverage to casual or contractual or both, employees of Municipal Bodies including Corporation, Municipal Councils and other Local bodies constituted by the State Government.

2. In the letter second read above, the Regional Director, Employees' State Insurance Corporation, Chennai-34 has stated that no objection or suggestion has been received, on the said preliminary Notification.

3. After careful examination, Government have decided to issue Final Notification under sub-section (5) of section 1 of the Employees State Insurance Act, 1948 (Central Act XXXIV of 1948)

(p.t.o.)

2  
13.9.2023  
DAF

4. The appended Notification will be published in the Tamil Nadu Government Gazette.

5. The Director, Tamil Development and Information (Translation) Department, Secretariat, Chennai - 600 009 is requested to send the Tamil Translation of the Notification to the Works Manager, Government Central Press, Chennai - 600 001.

6. The Works Manager, Government Central Press, Chennai - 600 001 is requested to send 5 copies of the Notification to the Government for reference and record.

**(BY ORDER OF THE GOVERNOR)**

**KUMAR JAYANT,  
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT.**

To

The Works Manager, Government Central Press, Chennai - 600 001.

The Director, Tamil Development and Information (Translation) Department,  
Secretariat, Chennai - 600 009.

The Director of Medical and Rural Health Services (ESIS), Chennai - 600 006.

The Regional Director / State Medical Commissioner,  
Employees State Insurance Corporation,

No.146, Sterling Road, Nungambakkam, Chennai - 600 034.

✓ The Director General, Employees State Insurance Corporation,  
Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi - 110 002.

The Secretary to Government,

Ministry of Labour and Employment, Government of India, New Delhi.

Copy to:

The Hon'ble Chief Minister's Office, Chennai - 600 009.

The Special Personal Assistant to Hon'ble Minister for  
Labour Welfare and Skill Development Department, Chennai - 600 009

The Municipal Administration and Water Supply Department, Chennai - 600 009.

The Finance (Edn-II) Department, Chennai - 600 009.

The Health & Family Welfare / Law Department, Chennai - 600 009.

The Senior Principal Private Secretary to Additional Chief Secretary to Government,  
Labour Welfare and Skill Development Department,  
Chennai-600 009.

SF/SC (C.No.162/K1/2023).

**//FORWARDED BY ORDER//**

Un. Amid  
04.09.23  
SECTION OFFICER.  
04.09.23

APPENDIX.

NOTIFICATION.

In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (Central Act XXXIV of 1948), the Governor of Tamil Nadu, in consultation with the Employees' State Insurance Corporation and with the approval of the Central Government, hereby extends the provisions of the said Act to the class of establishments specified in column (1) of the Schedule below and the draft of the same having been previously published, as required under the said section of the Act.

THE SCHEDULE.

<u>Description of establishments.</u>	<u>Areas in which the establishments are situated.</u>
(1)	(2)
Municipal Bodies including Municipal Corporation, Municipal Councils and Other Urban Local Bodies constituted by the State Government wherein ten or more persons on casual or contractual or both basis are employed, or were employed for wages on any day of the preceding twelve months.	All areas where provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948 have already been brought into force under sub-section (3) of section 1 of the Act.

**KUMAR JAYANT**  
**ADDITIONAL CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT**

//TRUE COPY//

Un. Singh  
04.07.2023  
SECTION OFFICER

04.07.2023



**GOVERNMENT OF ODISHA  
LABOUR & ESI DEPARTMENT**

\*\*\*

**NOTIFICATION**

Bhubaneswar dated 19<sup>th</sup> August, 2023

No. SS-II-SC-2/2021 8627 /LESI, Whereas by a notification of the Government of Odisha No.6365/ LESI dated 01.07.2023, the State Government, in consultation with the Employees' State Insurance Corporation and with the approval of Central Government vide Letter No.S-38025/07/2020-SS-I dated 09.06.2021, gave notice of its intention to extend the provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948 to the classes of establishments specified in the schedule annexed hereto after one month from the date of publication in the Official Gazette.

And whereas the said notification was published in Odisha Gazette on 27.07.2023.

And whereas, no objection and suggestions have been received within the stipulated period of one month in respect of said notification.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948, the State Government, in consultation with the Employees' State Insurance Corporation and with the approval of Central Government hereby extend the provisions of the said Act to classes of establishments in the state of Odisha specified in the schedule annexed hereto for publication in the Official Gazette:-

**SCHEDULE**

Description of establishments	Areas in which the establishments are situated
(1)	(2)
The following establishments wherein ten or more persons on casual or contractual or both, basis are employed or were employed for wages on any day of the preceding twelve months namely:  All Municipal Corporations, Municipalities & NACs	All areas where provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948 have already been brought into force under Section 1 (3) of the Act.

By order of the Governor

  
14 Sep 23

Commissioner-cum-Secretary to Government,

Labour & ESI Department






Memo No. 8628 /L&ESI, Bhubaneswar, dated the 14.9.23

Copy forwarded to the Director General, ESI Corporation, Panchadeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi-110002 for information and necessary action.

  
14/09/2023  
Deputy Secretary to Government

Memo No. 8629 /L&ESI, Bhubaneswar, dated the 14.9.23

Copy forwarded to the Director, Printing, Stationary & Publications, Odisha with a request to publish this notification in an extra-ordinary issue of the Odisha Gazette and furnish 20 copies to this Department for reference.

  
14/09/2023  
Deputy Secretary to Government

Memo No. 8630 /L&ESI, Bhubaneswar, dated the 14.9.23

Copy forwarded to the Under Secretary to Government of India, Ministry of Labour & Employment, Shram Shakti Bhawan, New Delhi for information.

  
14/09/2023  
Deputy Secretary to Government

Memo No. 8631 /L&ESI, Bhubaneswar, dated the 14.9.23

Copy forwarded to the Labour Commissioner, Odisha, Bhubaneswar/ Director, ESI Scheme, Odisha, Bhubaneswar / Regional Director, ESI Corporation, Bhubaneswar for information and necessary action.

  
14/09/2023  
Deputy Secretary to Government

Memo No. 8632 /L&ESI, Bhubaneswar, dated the 14.9.23

Copy forwarded to all Departments for information and necessary action.

  
14/09/2023  
Deputy Secretary to Government